रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 2000 (माघ 23, 1921)
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 2000 (MAGHA 23, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4
## [PART III—SECTION 4]

**[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]**

**[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]**

---

भारतीय रिज़र्व बैंक
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र,
कफ परेड, कोलाबा

मुंबई–400 005. दिनांक 15 नवंबर, 1999

सं० गैबैंपवि. 133/सीजीएम (ओपीए)–99––भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में इसे आवश्यक मान कर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि बैंक देश के हित में ऋण प्रणाली को विनियमित कर सके, इस प्रयोजनार्थ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां–जनता से जमा स्वीकरण (रिज़र्व रिज़र्व बैंक निदेशावली–1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धाराओं 45ञ, 45ट, 45ठ और 45ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो उसे इस संबंध में समर्थ बनाती हैं, यह निदेश देता है कि 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० डी एफ सी 118/डी जी (एसपीटी)/98 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित है, यथा––

पैराग्राफ 2 के, उप-पैराग्राफ (1) में, खंड (xii) में, उप खंड (छ) के बाद निम्नलिखित उप खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :––

"(ज) किसी पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड) से, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड्स) विनियमावली, 1996 के नियंत्रणाधीन है, प्राप्त कोई राशि"।

ओ० पी० अग्रवाल, मुख्य महाप्रबंधक

मुम्बई 400005, दिनांक 13 जनवरी 2000

सं० डीएनबीएस. 134/सीजीएम (बीएम एनएम)-2000 भारतीय रिज़र्व बैंक लोकहित में यह आवश्यक समझे जाने पर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभार्थ ऋण प्रणाली को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जनता से प्राप्त जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ञ, 45 ट, 45 ठ और 45 ड क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० डी.एफ.सी. 118 डी.जी. (एस.पी.टी.)/98 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित होंगे, अर्थात् :—

1. पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (1) में खण्ड (ix) के बाद निम्नलिखित खण्ड (ixक) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(ixक) "परस्पर लाभ वाली कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 620ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है तथा जो—

(क) 9 जनवरी, 1997 को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार कर रही हो; और

(ख) जिसकी कुल शुद्ध स्वाधिकृत निधियां तथा अधिमान शेयर पूंजी दस लाख रुपए से कम न हो; और

(ग) जिसने 9 जुलाई, 1997 को या उससे पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक में आवेदन प्रस्तुत किया हो; और

(घ) जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 637ए के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निधि कंपनियों को जारी निदेशों के सम्बन्धित प्रावधानों में निहित अपेक्षाओं का पालन कर रही हो ।"

2. पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (1) में खण्ड (xii) में उपखण्ड (ङ) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक और जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"परन्तु यह भी कि निजी कंपनी के संयुक्त शेयरधारकों के मामले में पहले नाम वाले शेयरधारक को छोड़कर संयुक्त शेयरधारकों से या उनके नाम में प्राप्त राशियां कंपनी के शेयरधारक से प्राप्त राशि के रूप में माने जाने के लिए पात्र नहीं होंगी ।"

3. पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ (1) में खण्ड (xii) के उप खण्ड (छ) के बाद निम्नलिखित नया उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

"(ज) सकर (हाइब्रिड) ऋण या अनुषंगी ऋण के रूप में प्राप्त कोई राशि, जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 60 महीने से कम न हो ।"

4. पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (1) में "परस्पर लाभ वाली कोई भी वित्तीय कंपनी" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात् —

"अथवा परस्पर लाभ वाली कंपनी" ।

5. पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (2) में "परस्पर लाभ वाली वित्तीय कंपनी" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात् —

"और परस्पर लाभ वाली कंपनी" ।

6. पैराग्राफ 4 में, उप-पैराग्राफ (1) में, खण्ड (i) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात —

"परन्तु यह कि यह खण्ड इसके नीचे उप-पैराग्राफ (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट उपस्कर पट्टे पर देने वाली कंपनी या किराया खरीद वित्त कंपनी पर लागू नहीं होगा ।"

7. पैराग्राफ 4 में, उप-पैराग्राफ (12) में खण्ड (ii) में निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

"(छ) उसी समूह की कम्पनियों या अन्य संस्थाओं या व्यावसायिक उद्यमों, जिनमें निदेशकों और/या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पर्याप्त हित हो, को प्रदान की गयी निधि एवं गैर-निधि आधारित सुविधाओं से प्राप्य कुल राशियों तथा उनके द्वारा देय कुल राशियों तथा ऐसी संस्थाओं को दिये गये कुल ऋण की राशि संबंधी सूचना ।"

8. पैराग्राफ 4 में, उप-पैराग्राफ (12) 3, खण्ड (ii) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"(iii) प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी नये जमाकर्ताओं का खाता खोलने तथा उनसे जमाराशियां स्वीकार करने के पहले उनकी उचित पहचान प्राप्त करेगी तथा इस प्रकार की पहचान के प्रयोजन के लिए जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हो उसे अपने रिकार्ड में रखेगी ।"

9. पैराग्राफ 4 के बाद निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

"4क. जमाराशियां प्राप्त करने के लिए शाखाएं तथा एजेंटों की नियुक्ति

13 जनवरी, 2000 को और उस तारीख से कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर अपनी शाखा नहीं खोलेगी या जमाराशि प्राप्त करने के लिए एजेंट नियुक्त नहीं करेगी :

(i) ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ क के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त हो तथा जो इन निदेशों के पैराग्राफ 4 (4) के अनुसार जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए अन्यथा हकदार हो, अपनी शाखा खोल सकती है अथवा एजेंट नियुक्त कर सकती है, यदि उसकी

| | | |
|---|---|---|
| (क) शुद्ध स्वाधिकृत निधि 50 करोड़ रुपये तक हो | उस राज्य के भीतर जहां इसका पंजीकृत कार्यालय स्थित हो; और भारत में कहीं भी |

(ख) शुद्ध स्वाधिकृत निधि 50 करोड़ रुपये से अधिक हो तथा इसकी क्रेडिट रेटिंग ए ए या उससे ऊपर की हो

(ii) (क) शाखा खोलने के प्रयोजन के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रस्तावित शाखा खोलने के अपने इरादे की जानकारी रिज़र्व बैंक को देगी,

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोकहित में अथवा संबंधित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के हित में अथवा दर्ज किये गये अन्य किसी संबंधित कारण से ऐसा करना जरूरी है, प्रस्ताव अस्वीकार कर सकता है और उसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को सूचित कर सकता है,

(ग) यदि रिज़र्व बैंक ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उक्त (ख) के अंतर्गत प्रस्ताव अस्वीकार करने की सूचना प्रेषित नही करता है, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपने प्रस्ताव के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकती है ।

4ख. शाखाएं बंद करना

कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी तब तक अपनी शाखा, कार्यालय बंद नही करेगी, जब तक वह इस आशय की जानकारी किसी एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में और संबंधित स्थान में परिचालित होने वाले एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित न कर दे तथा प्रस्तावित बंदी के 90 दिन के पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित न कर दे ।

10. पैराग्राफ 9 के बाद, निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

"9क. पैराग्राफ 4 से 7 तक में शामिल कोई भी बात उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होगी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अंतर्गत यथापरिभाषित सरकारी कंपनी हो ।"

वी० एस० एन० मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

---

सं० डी० एन० बी० एस० 135/सी०जी०एम०(वी०एस० ० एम०)-2000—भारतीय रिज़र्व बैंक लोकहित में यह आवश्यक समझे जाने पर तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभार्थ ऋण प्रणाली को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक को समर्थ बनाने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 को संशोधित करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45ञ क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस संबंध में इसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देता है कि 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० डी० एफ० सी० 119/डी०जी० (एस० पी० टी०)/98 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित होंगे, अर्थात्—

1. पैराग्राफ 1, उप-पैराग्राफ (1) में, खंड (क) में, "परस्पर लाभ वाली वित्तीय कंपनी" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात्—

"और परस्पर लाभ वाली कंपनी"

2. पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (3) में, निम्नानुसार एक नया खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

"(6) ये निदेश उस गर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अंतर्गत यथापरिभाषित सरकारी कंपनी हो ।"

3. पैराग्राफ 11ख में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

स्पष्टीकरण :

"दरें न दिये जाने वाले शेयरों में किये जाने वाले निवेश की उच्चतम सीमा की गणना करते समय सभी कपनियों के ऐसे शेयरों में निवेश को जोड़ा जायेगा ।"

4. पैराग्राफ 9 के बाद, निम्नलिखित नये पैराग्राफ शामिल किये जायेंगे, अर्थात्—

"9क. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा लेखा-परीक्षा समिति का गठन

अपने अंतिम लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार 50 करोड़ रुपये अथवा अधिक की आस्तियां रखने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक लेखा-परीक्षा समिति गठित करेगी, जिसमें उसके निदेशक मंडल के कम से कम तीन सदस्य होंगे ।

9ख. लेखा वर्ष

प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 31 मार्च 2001 को समाप्त अपने लेखा-वर्ष से हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी :

परन्तु यह कि यदि किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लेखा वर्ष 31 मार्च 2001 के अलावा किसी अन्य तारीख को समाप्त हो रहा हो, तो ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के किसी अंश के लिए अपना तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तैयार करेगी ।"

मुकदमा दायर/डिक्रीशुदा ऋण संबंधी सूचना

5. भाग झ के बाद निदेश (रिपोर्टिंग फार्मेट) से संबद्ध फार्मेट में निम्नलिखित भाग-ञ जोड़ा जायेगा, अर्थात्—

"भाग ञ"

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा तथा उसके विरुद्ध मुकदमा दायर और डिक्रीशुदा ऋणों के ब्यौरे

| मद का नाम | मद कूट | राशि |
|---|---|---|
| (i) ऋण अग्रिम अन्य ऋण सुविधाएं पट्टे पर दी गयी आस्तिया और किराया खरीद आस्तियां जिनके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा डिक्रीशुदा ऋणो सहित अपनी देय राशियों की वसूली हेतु किसी विधिक न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया हो | 810 | |
| 5 वर्ष से अधिक के लिए लंबित | 811 | |
| 3 से 5 वर्ष तक के लिए लंबित | 812 | |
| 1 से 3 वर्ष के लिए लंबित | 813 | |
| एक वर्ष से कम के लिए लंबित | 814 | |
| (ii) उक्त (i) में से ऋण अग्रिम, अन्य ऋण सुविधाए तथा किराया खरीद आस्तियां ज जिनके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा डिक्री प्राप्त की गयी हो | 820 | |
| (iii) मुकदमा दायर/डिक्रीशुदा ऋणों के मामले में की गयी वसूलियां (न्यायालय मे जमा की गयी राशियो सहित) | 830 | |
| (iv) मुकदमा दायर तथा कंपनी के विरुद्ध डिक्रीशुदा | 840 | |

वी० एस० एन० मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

---

सं० डीएनबीएस. 136/सीजीएम (वीएसएनएम)–2000—भारतीय रिज़र्व बैंक लोकहित में यह आवश्यक समझे जाने पर और इस बात से संतुष्ट होकर कि देश के लाभार्थ ऋण प्रणाली को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ बैंक को समर्थ बनाने के लिए अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निदेशावली 1987 का संशोधन करना आवश्यक है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 का, 45 ट, 45ठ और 45 ञ क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 15 मई 1987 की अधिसूचना सं० डीएनबी. 55/सीजी (ओ)–87 में निहित उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित होंगे अर्थात्—

पैराग्राफ 4 क के बाद निम्नलिखित नये पैराग्राफ जोडे जायेंगे अर्थात्—

"जमाराशिया प्राप्त करने के लिए शाखाओं और एजेंटों की नियुक्ति

4ख. 13 जनवरी 2000 को और इस दिनांक से कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी यहां नीचे यथावर्णित के सिवाय जमाराशिया प्राप्त करने के लिए अपनी शाखाएं नही खोलगी या एजेंट नियुक्त नहीं करेगी।

(i) ऐसी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ क के अंतर्गत जारी किया गया पंजीकृत प्रमाणपत्र प्राप्त हो अपनी शाखा खोल सकती है या एजेंट नियुक्त कर सकती है यदि उसकी

| | |
|---|---|
| (क) शुद्ध स्वाधिकृत निधि 50 करोड़ रुपये तक हो; | उस राज्य के भीतर जहां उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित हों; और यदि |
| (ख) शुद्ध स्वाधिकृत निधि 50 करोड़ रुपये से अधिक हो | भारत में कहीं भी |

(ii) (क) शाखा/कार्यालय खोलने के प्रयोजन के लिए अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी प्रस्तावित शाखा खोलने के अपने इरादे की जानकारी रिज़र्व बैंक को देगी;

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि लोकहित में अथवा संबंधित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के हित में अथवा दर्ज किये गये अन्य संबंधित कारण मे आवश्यक है, प्रस्ताव अस्वीकार कर सकता है और उसे अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को सूचित कर सकता है;

(ग) यदि रिज़र्व बैंक ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर उक्त (ख) के अंतर्गत प्रस्ताव अस्वीकार करने की सूचना प्रेषित नहीं करता है, तो अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने प्रस्ताव के संबंध में आगे की कार्रवाई कर सकती है।

शाखाए बंद करना

4ग. कोई भी अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी तब तक अपनी शाखा/कार्यालय बंद नहीं करेगी, जब तक वह इस आशय की जानकारी बंद करने की प्रस्तावित तारीख 90 दिन पहले किसी एक राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में और संबंधित स्थान में परिचालित होने वाले एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित न कर दे तथा बंद करने की प्रस्तावित तारीख से न्यूनतम 90 दिन पहले रिज़र्व बैंक को सूचित न कर दे।

वी० एस० एन० मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

---

सं० डीएनबीएस. 137/सीजीएम (वीएसएनएम)–2000—भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ङ क की उप धारा (1क) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 2 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं० डीएफसी/117/डी०जी (एसपीटी)/98 में निहित निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नप्रकार संशोधित होंगे, अर्थात्—

पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (ख) में मद (viii) के बाद निम्नलिखित नयी मद जोड़ी जायेगी, अर्थात्—

"(ix) जमाराशियां प्राप्त करने के लिए नयी शाखाएं या कार्यालय खोलने या उनको बंद करने की स्थिति में और एजेंट नियुक्त करने के मामले में, क्योंकि कंपनी ने दिनांक 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं० डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)/98 में निहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से प्राप्त जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदशावली, मेंनि अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।"

वी० एस० एन० मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

---

सं० डीएनबीएस. 138/सीजीएम (वीएसएनएम)–2000—भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 ढ ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि—

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ क, 45झ ख और 45झ ग के प्रावधान ऐसी किसी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

(i) जो

(क) किसी कारोबारी उद्यम के लिए अधिकतम रु० 50,000 का तथा किसी गरीब व्यक्ति को अपनी आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए किसी आवासीय इकाई की लागत की पूर्ति के लिए अधिकतम रु० 1,25,000 का ऋण प्रदान कर रही है;

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है; और

(ग) 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं० 118/डीजी (एसपीटी)–98 के पैराग्राफ 2 (1) (xii) में यथापरिभाषित जनता से जमाराशियां स्वीकार नही कर रही है।

(ii) जो 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)–98 में निहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से प्राप्त जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 के पैराग्राफ 2 (1) (ixक) में यथापरिभाषित परस्पर लाभवाली कंपनी है।

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ ख और 45 झ ग के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 झ (च) में यथापरिभाषित किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी है।

वी० एस० एन० मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

सं० डीएनबीएस. 139/सीजीएम (वीएसएनएम)–2000—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ ख की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 45 ढ ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 31 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं० डीएफसी. 121/ईडी (जी) में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से निम्नप्रकार संशोधित होंगे, अर्थात् —

पैराग्राफ 1 में, मद (i) और (ii) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"उक्त निवेश की सीमा, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस के कारोबार की समाप्ति पर बकाया, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता से प्राप्त जमाराशियों का स्वीकरण (रिज़र्व बैंक) निदेशावली, 1998 के पैराग्राफ 2 (1) (xii) में यथापरिभाषित "जनता से प्राप्त जमाराशियों" के निम्नानुसार होगी—

| | | |
|---|---|---|
| (i) | 1 अप्रैल 1998 को तथा उक्त दिनांक से | 12.5 प्रतिशत से कम न हो; |
| (ii) | 1 अप्रैल 1999 को तथा उक्त दिनांक से | 15 प्रतिशत से कम न हो, और |
| (iii) | 1 जनवरी 2000 को तथा उक्त दिनांक से | अनुमोदित प्रतिभूतियों में 10 प्रतिशत से कम न हो और शेष किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक में भार रहित मावधि जमाराशियों में, जिनका कुल योग 15 प्रतिशत से कम नहीं होगा; |

और"

वी० एस० एन० मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

---

सं० डीएनबीएस. 140/सीजीएम (वीएसएनएम)–2000—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ ख की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 30 अप्रल 1997 की अधिसूचना सं० डीएफसी. 108/(ईडी) (जेआरवी)–97 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि उक्त निदेश तत्काल प्रभाव से संशोधित होंगे, अर्थात्—

1. तिमाही विवरणी 1 के फार्म में मद 9 के बाद निम्नलिखित मद 10 जोड़ी जायेगी, अर्थात् :

"10. जमाराशियां प्राप्त करने वाली शाखाओं/कार्यालयों से संबंधित सूचना निम्नलिखित है :

(क) नयी शाखाएं/कार्यालय खोलना

| शाखाओं/कार्यालयों के नाम और पते | खुलने की तारीख | भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|

(ख) शाखाएं/कार्यालय बंद करना

| शाखाओं/कार्यालयों के नाम और पते | प्रचार की तारीख | बंद करने की तारीख | भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|

2. तिमाही विवरणी-ii के फार्म में, मद 6 और 7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात्—

"6. उपर्युक्त मद 5 (सी)) जमाराशि की——— 120 प्रतिशत रखी जाने वाली अर्थसुलभ आस्ति की निर्धारित राशि

(अनुमोदित प्रतिभूतियों के ब्योरे उनके बाज़ार मूल्य के साथ तथा विवरणी की तारीख को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में रखी गयी सावधि जमा के ब्योरे अलग अनुबंध में दिये जायें)

7. क्या कंपनी ने तिमाही के दौरान भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सावधि जमाराशियों में दैनिक आधार पर अपेक्षित आस्तियां रखी हैं (नीचे नोट 1 देखें)

3. तिमाही विवरणी-ii के फार्म में, मद 10 के बाद निम्नलिखित मद 11 जोड़ी जायेगी, अर्थात्—

"11. जमाराशियां प्राप्त करने वाली शाखाओं/कार्यालयों से संबंधित सूचना निम्नलिखित है.

(क) नयी शाखाएं/कार्यालय खोलना

| शाखाओं/कार्यालयों के नाम और पते | खुलने की तारीख | भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|

(ख) शाखाएं/कार्यालय बंद करना

| शाखाओं/कार्यालयों के नाम और पते | प्रचार की तारीख | बंद करने की तारीख | भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पत्राचार की संदर्भ संख्या और तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|

वी० एस० एन० मूर्ति
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई–400001

दिनांक 11 सितंबर 1998 की अधिसूचना सं० 1 के लिए शुद्धिपत्र/संशोधन

शुद्धिपत्र

(1) 'प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग मुंबई–400 001, 11 सितंबर 1998' शब्दों के स्थान पर बैंक का नाम, विभाग और अधिसूचना सं० निम्नानुसार पढ़े जाएं ।

"भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रशासन और कार्मिक प्रबंध विभाग

केंद्रीय कार्यालय, मुंबई–400 001

अधिसूचना सं० 1 दिनांक 11 सितम्बर, 1998"

(2) पृष्ठ सं० 464 (मद सं० 1 पंक्ति 6) के हिंदी अनुवाद में विदेशी मुद्रा नियंत्रण परिचालन और विभाग बैंकिंग विकास विभाग' छप गया है । उसे सही रूप में "विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग" पढ़ा जाए ।

संशोधन

क्षेत्रीय प्रमुखों का पदनाम परिवर्तित करते हुए 'क्षेत्रीय निदेशक' कर दिया गया है और इस परिवर्तन को दिनांक 11 सितंबर, 1998 को हस्ताक्षर करने की अधिसूचना सं० 1 शामिल करने का बैंक की केन्द्रीय बोर्ड की समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। अधिसूचना में परिणामी संशोधन नीचे दर्शाये गये है ।

| मद सं० | पैरा/उप–पैरा सं० | पंक्ति सं० | किये गये संशोधन |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | मुख्य महाप्रबंधक शब्द के स्थान पर 'क्षेत्रीय निदेशक' किया गया |
| 5 | (i) | 3 | मुख्य महाप्रबंधक शब्द के बाद 'क्षेत्रीय निदेशक' जोड़ा गया |
| 5 | (i) | 5 | मुख्य महाप्रबंधक शब्द के स्थान पर 'क्षेत्रीय निदेशक' किया गया |
| 5 | (iii) | 9 | मुख्य महाप्रबंधक शब्द के स्थान पर 'क्षेत्रीय निदेशक' किया गया |
| 5 | (viii) | 4 | मुख्य महाप्रबंधक शब्द के स्थान पर 'क्षेत्रीय निदेशक' किया गया |
| 5 | ( ) | 4 | मुख्य महाप्रबंधक शब्द के स्थान पर 'क्षेत्रीय निदेशक' किया गया |
| 5 | (xiii) | 3–4 | मुख्य महाप्रबंधक के स्थान पर 'क्षेत्रीय निदेशक' किया गया |
| 5 | (xv) | 4 | मुख्य महाप्रबंधक शब्द के स्थान पर 'क्षेत्रीय निदेशक' किया गया |

एम० जी० विश्वेश्वरन
सहायक महाप्रबंधक

---

सालारजंग संग्राहालय मंडल
हैदराबाद, दिनांक 1999

सं० .....सालारजंग सग्राहालय मंडल हैदराबाद ने सालार जंग सग्रहालय अधिनियम 1961 (1961 के 26) की धारा 28 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जोसालार जंग संग्रहालय 1962 का संशोधित है जो इस प्रकार होगा :—

1. (1) ये विनियम सालार जंग संग्रहालय विनियम (संशोधित) 1999 कहलायेंगे ।

(2) ये केन्द्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने के तारीख से लागू होंगे ।

2. (क) सालार जंग संग्रहालय विनियम, 1962 में विनियम 8 में उप विनियम (1–क) उप धारा (ख) के लिए, निम्नलिखित, उप-धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो —

(ख) "श्रेणी–III या श्रेणी–IV पद की रिक्ति के मामले, में रोजगार केन्द्र को अधिसूचित किया जाएगा । समाचार पत्रों में (रोजगार समाचार बुलेटिन को सम्मिलित कर) विज्ञापित किया जाएगा, सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और रेडियो तथा दूर दर्शन पर घोषणा की जाएगी ।"

सचिव —
सालारजंग संग्रहालय मंडल,
सालारजंग संग्रहालय
हैदराबाद ।

अध्यक्ष
सालारजंग संग्रहालय मंडल
सालारजंग संग्रहालय
हैदराबाद ।

---

पाद टिप्पणी

भारत के राजपत्र की धारा 4, भाग–III में प्रमुख विनियम दिनाक 16 जुलाई, 1966 के अधिसूचना सख्या 29 के अनुसार प्रकाशित किया गया और तदुपरांत संशोधन के अनुसार —

1. दिनांक .....का अधिसूचना सं० 16 जुलाई, 1966
2. .....
3. .....
4. .....

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी, 2000

सं० बी-33(13)2/95-स्था० 4—क० रा० बी० (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क० रा० बी० अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में अध्यक्ष, क० रा० बी० निगम, असम क्षेत्र के क्षेत्रीय बोर्ड का एतद्द्वारा पुनर्गठन करते हैं। बोर्ड में निम्नलिखित को नामित किया गया है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मंत्री<br>श्रम एवं रोजगार विभाग<br>असम सरकार | अध्यक्ष |
| 2. | राज्य मंत्री<br>स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण<br>विभाग, असम सरकार | उपाध्यक्ष |
| 3. | प्रशासनिक चिकित्सा एवं<br>स्वास्थ्य अधिकारी,<br>क० रा० बी० योजना, असम | राज्य में क० रा० बी० योजना का प्रभारी अधिकारी—पदेन सदस्य |
| 4. | उप-चिकित्सा आयुक्त<br>क० रा० बी० निगम, पूर्वी जोन<br>कलकत्ता। | पदेन सदस्य |
| 5. | श्री जे० एम० गोस्वामी,<br>सचिव असम, मैनुफक्चरर्स एसोसिएशन<br>बाई लेन नं० 5, इंडस्ट्रियल एस्टेट<br>बामूनी मैदान, गुवाहाटी-21। | नियोजक प्रतिनिधि |
| 6. | श्री ए० सी० दास,<br>सचिव, असम प्लाइवुड मैनुफैक्चरर्स<br>पी० ओ० तिनसुकिया,<br>असम-786125। | नियोजक अतिरिक्त प्रतिनिधि |
| 7. | श्री बी० पी० बक्शी<br>ऑल इंडिया मनुफैक्चरर्स<br>ऑरगनाइजेशन<br>असम स्टेट रोड़,<br>तिनसुकिया-786125<br>असम। | —वही— |
| 8. | श्री एस० के० श्रीवास्तव<br>असम कॉटन मिल्स<br>पी० ओ० चारोद्वार (सुनीतपुर)<br>असम-784103। | —वही— |
| 9. | श्री सुमेर सिंह गौड़,<br>सचिव, आई० एन० टी० यू० सी०<br>असम शाखा, के० सी० नेग रोड,<br>पलटन बाजार,<br>गुवाहाटी-8। | कर्मचारी प्रतिनिधि |
| 10. | श्री डी० पी० यादव<br>महासचिव, भा० म० म०<br>बनीपारा, सिलचर-1<br>असम। | कर्मचारी अतिरिक्त प्रतिनिधि |
| 11. | श्री अमोल घोष दस्तीदार<br>अध्यक्ष, सी० आई० टी० यू०<br>असम राज्य समिति,<br>आनन्द राम बरूह पथ,<br>पलटन बाज़ार, गुवाहाटी-8। | —वही— |
| 12. | श्री नसीरुद्दीन,<br>सचिव, आई० एन० टी० यू० सी०<br>ढुबरी शाखा, असम-783301। | —वही— |
| 13. | आयुक्त एवं सचिव<br>असम सरकार,<br>श्रम एवं रोज़गार विभाग,<br>दिसपुर, असम। | सदस्य, राज्य में रहने वाले क० रा० बी० निगम के सदस्य-पदेन सदस्य |
| 14. | क्षेत्रीय निदेशक,<br>क० रा० बी० निगम, गुवाहाटी<br>असम। | सदस्य सचिव |

एल० एम० महता, महानिदेशक

---

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी, 2000

स० एन-15/13/1/11/98-यो० एवं वि०—(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2000 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :—

**आन्ध्र प्रदेश राज्य में प्रकाशम जिले के ओंगोल नगर पालिका सीमा,**

ओंगोल मंडल के अन्तर्गत आने वाले कोप्पोल्लु, पेल्लूरु, चेरूवुकोमनुपालेम वेंगिमुक्कपालेम, मामिडिपालेम लोवगुन्टा, मुक्कितनूतलपाडु, गुड़िगल्लपाडु, और एरराचेरला राजस्व ग्राम की सीमा,

संतनूतलापाडु मंडल के अन्तर्गत आने वाले पेरनिमिट्टा, येन्दुलूर और मंगनूर राजस्व ग्राम की सीमा।"

जी० एल० कपूर,
निदेशक (यो० एवं वि०)

---

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 2000

सं० यू-16/53/पी० टी० एम० आर०/कर्ना०/99-चि० 2:—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के

विनियम–105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23–5–1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उपचिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र), बंगलौर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं ।

| क्रं० सं० | डाक्टर का नाम | अवधि | केन्द्र का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | डा० एम० विजय | 22–02–2000 से 21–02–2001 | मैसूर क्षेत्र |

डा० (श्रीमती) एस० सिंह,
चिकित्सा आयुक्त ।

---

सं० एन०–15/13/10/2/98–यो० एं० वि०–(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम–1950 के विनियम 95–क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा–46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी, 2000 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम–95–क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा निमम–1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हित-लाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात्.–

"जिला कटक के चौद्धार, तहसील टाँगी के मंगुली, कैरापारी, बोन्डल, बैन्चुआ, कोटसाही, गनरवा क्षेत्र के राजस्व गांव।"

जी० एल० कपूर,
निदेशक (यो० एवं वि०)

---

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 12 जनवरी 2000

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-4/5302 —जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित स्थापना ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो इसके स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों को रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से उक्त स्कीम के सभी प्रावधानों के संचालन से प्रवर्तक स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है बशर्ते कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शायित है ।

अनुसूची–1

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि | के०भ० नि० आ० फाईल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मै० आन्ध्रा प्रदेश स्टेट कोप० ओ०रेटिव बैंक लि० मु० कार्यालय टरूप बाजार पो० बा० नं० 142, हैदराबाद–500001 | ऐपी/2340 | 2/1959/डीएलआई०/एक्जम /89/पी टी/दि० 21–10–96 | 30–11–96 | 1–12–96 से 30–11–99 | 2/3767/91/ डीएलआई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | मै० बापाट्टा इंजीनियरिंग कालेज, वायाटूला—522101 | ऐपी/16525 | 10—1—94 | 31—8—95 | 1—9—95 से 31—8—98 1—9—98 से 31—8—2001 | 2/4333/92 |
| 3. | मै० स्पेक्ट्रा फूड्स एण्ड बेविरेजस प्रा० लि० टाडीगाडापा विजयवाडा—521137 | ऐपी/जीटी/13987 | 8—1—93 | 31—12—94 | 1—1—95 से 31—12—97 1—1—98 से 31—12—2000 | 2/3202/90 |
| 4. | मै०ए० ए० एन० एम० एण्ड वी०वी०आर०एस०आर० पोलीटेक्निक, गुडलावायेरू कृष्णा जिला—521356 | ऐपी/जीटी/16537 | 29—1—93 | 28—2—94 | 1—3—94 से 28—2—97 1—3—97 से 28—2—2000 | 2/4392/92 |
| 5. | मै० श्री सत्यासाई इंस्टीटयूट आफ हायर लरनिंग प्रशासनीयलाय अनन्तपूर—जिला—515134 | ऐपी/20080 | 29—8—97 | 31—3—96 | 1—4—96 से 31—3—99 1—4—99 से 31—3—2002 | 2/4534/92 |
| 6. | मै० भाइरत्न भाई जे० चेने पारसी हाई स्कूल 119, पार्क लेन, सिकन्दराबाद। | ऐपी/9271 | 22—12—92 | 31—8—92 | 1—9—92 से 31—8—95 1—9—95 से 31—8—98 1—9—98 से 31—8—2001 | 2/4282/92 |
| 7. | मै० सिबकर आटो पार्टस लि०, इन्डस्ट्रीयल स्टेट रानीगुटा मार्ग, तिरूपति—517506 | ऐपी/18114 | 10—11—98 | 31—3—99 | 1—4—99 से 31—3—2002 | 1/121/98 |
| 8. | मै० कनाका दुर्गा ग्रामीण बैंक 9/225, गौरीशंकारापुरम गुडीवाडा—521301 | ऐपी/16704 | 5—5—93 | 31—3—95 | 1—4—95 से 31—3—98 1—4—98 से 31—3—2001 | 2/3205/90 |

## अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के आधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के आधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है आधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम-निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/डी.एल.आई./भाग-1/एक्जम/89/5321—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जबकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची—1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के०भ०नि० आ०फा०नं० |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै० साकेश एंड क्रिम्स 10, सरदार पटेल मार्ग, अदियार, चेन्नई–600020 | टीएन/9643ए | 1–11–98 से 31–10–2001 | 14/657/99/डीएलआई |
| 2. | मै० करपागम इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, सिडको इन्डस्ट्रियल स्टेट कोयम्बटूर–21 | टीएन/21260 | 1–12–98 से 30–11–2001 | 14/658/99 |
| 3. | मै० पोपुलर लेदर्स प्रा० लि०, 51–सी, सिडको इन्डस्ट्रियल कोम्पलैक्स, रानीपेट–3 | टीएन/23686 | 1–8–96 से 31–7–99 | 14/659/99 |
| 4. | मै० कोशिक कैमिकल्स लि०, प्लाट नं० 6–ऐ, सिपकोट इन्डस्ट्रियल कोम्पलैक्स, रानीपेट–623403 | टीएन/26465 | 1–2–96 से 31–1–99 | 14/660/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मै० कल्यानी कन्स्ट्रेक्शन प्रा० लि०, नं० 9, बाजुला मार्ग, टी० नगर, चेन्नई–600017 | टीएन/26841 | 1–1–99 से 31–12–2001 | 14/661/99 |
| 6. | मै० साफ्ट वेयर सोलूशन इन्टैग्रेटिड लि०, नं० 54 थिरूमलाई मार्ग, टी० नगर, चेन्नई–600017 | टीएन/31265 | 1–11–98 से 31–10–2001 | 14/662/99 |
| 7. | मै० इन्टरनैशनल बैंकिंग प्रोडक्टस लि०, एडजोनिंग अरोफूड कोम्पलैक्स पोस्ट, टी० सी० पालम–605111 | टीएन/32771 | 26–9–97 से 25–9–2000 | 14/663/99 |
| 8 | मै० बालाजी इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन लि०, नं० 9, बाजुलन मार्ग, चेन्नई–600017 | टीएन/39233 | 1–1–99 से 31–12–2001 | 14/664/99 |
| 9. | मै० इन्डस प्लोवर, 19, चोथा मैन मार्ग, कस्तूरबा नगर, अदियार, चेन्नई–600020 | टी०एन/39993 | 1–12–98 से 30–11–2001 | 14/665/99 |
| 10. | मै० हरिता इन एंड सर्व लि०, नं० 8, हाडडोस मार्ग, चेन्नई–600006 | टीएन/40155 | 1–11–98 से 31–10–2001 | 14/666/99 |
| 11. | मै० जय प्रभाजर स्पिरगस लि०, प्लाट नं० 22–25, गांव सैनगुन्द्रम मेरीमलाई नगर सिगापरमोइल कोयल स्ट्रीट–603204 | टीएन/40168 | 1–7–98 से 30–6–2001 | 14/667/99 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसको अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधनों की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को निधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-4/5336—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची—1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि | के०भ०नि०आ० की फाईल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मै० इन्डियन आयल कोर० लि०, 7, इन्डस्ट्रियल एरिया स्कोप काम्पलैक्स कोर–2 लोधी रोड़, नई दिल्ली-3 | डीएल/1338 | 2/1959/डीएलआई/एक्जम/89/पीटी/718 दिनांक 13–5–99 | 22–5–99 | 23–5–99 से 22–5–2002 | 2/131/80/डीएल आई |
| 2. | मै० रैनबक्सी लैबोटरीस 25, नेहरू प्लेस नई दिल्ली–19 । | डीएल/1546 | 5–7–99 | 28–2–99 | 1–3–99 से 28–2–2002 | 2/722/82 |
| 3. | मै० इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (आई) लि०, कोर–3, स्कोप काम्पलैक्स 7, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 । | डीएल/2921 | एस–35014/218/83-11 एसएस–11 दि० 23–2–87 | 23–12–89 | 24–12–89 से 23–12–92<br>24–12–92 से 23–12–95<br>24–12–95 से 23–12–98 | 2/116/78 |
| 4. | मै० कोनटिनेन्टल डिवाईस इंडिया लि०, सी–120, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110028 | डीएल/3141 | 2/1959/डीएलआई/एक्जम/89/पीटी/1431 दि० 10–6–99 | 30–6–97 | 1–7–97 से 30–6–2000 | 3/76/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | मै० बसु एण्ड एसोसियेट प्रा० लि०, पाकेट बी–2, जी ब्लाक मार्केट साकेत, नई दिल्ली–17 | डीएल/6609 | 12–4–99 | 28–2–99 | 1–3–99 से 28–2–2002 | 3/25/98 |
| 6. | मै० सलोरा इन्टरनेशनल लि०, डी/13/4 ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस–1, नई दिल्ली–25 | डीएल/6935 | 28–4–97 | 31–7–95 | 1–8–95 से 31–7–98 | 2/1568/88 |
| 7. | मै० गर्बलर इंडिया लि०, 1, श्री अरबिन्दू मार्ग, नई दिल्ली–16. | डीएल/7433 | 24–1–99 | 31–7–99 | 1–8–99 से 31–7–2002 | 3/17/98 |
| 8. | मै० सोवर प्रा० लि०, सी०एस०सी०, सी–9, वसंत कुंज, नई दिल्ली–70 | डीएल/7736 | 3–11–98 | 31–5–99 | 1–6–99 से 31–5–2002 | 2/1683/87 |
| 9. | मै० कोशा डायनमिक्स प्रा० लि० सैड नं०–11 ओखला इन्डस्ट्रियल स्टेट फैस–4, नई दिल्ली–20 | डीएल/9014 | 21–6–99 | 30–11–98 | 1–12–98 से 30–11–2001 | 3/26/98 |
| 10. | मै० मोहन फूटस लि०, 78/3 जनपथ दूसरा मंजिल, नई दिल्ली–110001 | डीएल/14950 | 9–4–99 | 31–12–98 | 1–1–99 से 31–12–2001 | 3/10/96 |
| 11. | मै० स्पन फैशनस लि०, 149, ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली–110020 | डीएल/15825 | 9–10–98 | 31–5–98 | 1–6–98 से 31–5–2001 | 3/11/98 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उसी सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना, पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. रैनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

नई दिल्ली-66, दिनांक 12 जनवरी 2000

सं. 2/1959/डी.एल आई./भाग-1/एक्जम/89/5382 जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से स्थापना जिस निधि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कलकत्ता ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची–1

| क्र०सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की भावी तिथि | के० भ० नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० टी० एण्ड आई० लि०, 19, आर० एन० मुखर्जी मार्ग, कलकत्ता–700001 | डब्लूबी14855 | 1–3–98 से 28–2–2001 | 16/85/99/इडीएलआई |
| 2. | मै० होटल हिमालय, 134/1, एम० जी० मार्ग, कलकत्ता–700007 | डब्लूबी/27852 | 1–11–97 से 31–10–2000 | 16/86/99 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/5358—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना में तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–1

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि | के० भ० नि० आ० की फाईल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० इन्स्टिट्यूट आफ नेचरोपैथी एंड योगिक साइंस, जिन्दल नगर, बंगलौर—560073 | केएन/7381 | 2/1959/डीएलआई/एक्जम/ दिनांक 9—5—94 | 31—3—93 | 1—4—93 से 31—3—96<br>1—4—96 से 31—3—99<br>1—4—99 से 31—3—2002 | 2/2479/89/ डीएलआई |

## अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई है तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एल. तनेजा

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

दिनांक 13 जनवरी 2000

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्ज/89/भाग4/5363—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची—1

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि | के० भ० नि० आ० की फाईल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मै० कोयम्बटूर जिला कौप० मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, कालामपलायम, कोयम्बटूर—10 | टीएन/2614—ए | 2/1959/डीएलआई/ एक्जम/89/पीटी—1 दि० 10—5—94 | 31—3—93 | 1—4—93 से 31—3—96 1—4—96 से 31—3—99 | 2/864/82/ डीएलआई |
| 2. | मै० श्री विलिपुटूर कौप० स्पिनिंग मिल्स लि०, मदुर मार्ग, श्री विलिपुटूर— 626125 | टीएन/3115 | 23—1—92 | 31—7—94 | 1—8—94 से 31—7—97 1—8—97 से. 31—7—2000 | 2/2462/90 |
| 3. | मै० दि थान्जुवर कन्सुमर्स कौप० होलसेल स्टोर्स लि०, 2964/1, साउथ रामपार्ट, थान्जावुर—613001 | टीएन/3411 | 16—2—99 | 28—2—99 | 1—3—99 से 28—2—2002 | 14/226/97 |
| 4 | मै० जय एंड कम्पनी, 30, पी० एन० आरटीएन आर० लेआउट, कोयम्बटूर—18. | आरटीएन/3543 | 1—9—92 | 31—3—94 | 1—4—94 से 31—3—97 1—4—97 से 31—3—2000 | 2/4043/92 |
| 5. | मै० लायड इन्सलटेशन (इंडिया) लि०, 5, हाडोस लेन आफ हाडोस मार्ग, नन्गामवाकम, चेन्नई—600006. | टीएन/4711 | 15—12—97 | 29—2—96 | 1—3—96 से 28—2—99 | 14/191/96 |
| 6. | म० कल्लाकुरिचि कौप० लेगर मिल्स लि०, मुनगिलथुरायपाट्टू—605792 शंकरापूर्म, टी० के० विलूपूर्म जिला । | टीएन/6139 | 19—3—99 | 27—1—99 | 28—1—99 से 27—1—2002 | 2/969/83 |
| 7. | मै० एम० आई० एल० इन्डस्ट्रीज लि०, 25—ए, इंडस्ट्रियल स्टेट, अम्बाटूर, चेन्नई—600098. | टीएन/6993 | 26—8—98 | 30—7—97 | 31—7—97 से 30—7—2000 | 14/184/96 |
| 8 | मै० सुराजमगलम मिल्क प्रोड्सर्स कौप० सोसायटी, जेड—348, सुरामंगलम (पी० ओ०) कचानम—610201, वेदारान्याम, (टी० के०), नागापट्टी (जिला) । | टीएन/1/7858 | 19—3—99 | 30—11—98 | 1—12—98 से 30—11—2001 | 2/4915/93 |

| 1 | 2 | कूट 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | मै० एक्सप्रेस पब्लिकेशनस (मदुरै) लि०, 137, एक्सप्रेस गार्डन, कामराज मार्ग, मदुरै–9. | टीएन/8486 | -- | 28–2–93 | 1–3–93 से 29–2–96 1–3–96 से 28–2–99 | 2/1314/85 |
| 10. | मै० टी–1431, माडुक्कुर मिल्क प्रोड्यूससे कौप० सोसायटी, माडुक्कुर–614903 थान्जावूर (जिला)। | टीएन/8999 | 1–4–99 | 28–2–99 | 1–3–99 से 28–2–2002 | 14/464/98 |
| 11. | मै० ट्रान्सकोर फैक्टरी, टाईप–II/4, वी० एस० आई०स्टेट, थिरुवनमयूर, चेन्नई–600041. | टीएन/10173 | 18–9–97 | 31–8 95 | 21–9–95 से 31–8–98 1–9–98 से 31–8–2001 | 2/5079/93 |
| 12. | मै० सी० आर० पी० इंडिया प्रा० लि० 4/129, माउन्ट पूनमाल्ली मार्ग, चेन्नई–600089. | टीएन/11922 | 1–11–95 | 31–3–96 | 1–4–96 से 31–3–99 2–4–99 से 31–3–2002 | 2/5367/93 |
| 13. | मै० श्री जगन्नाथ टैक्सटाइल्स लि० 1493, सत्यमंगलम मार्ग, गणपति (पी० ओ०) कोयम्बेटूर–641006. | टीएन/12420 | 12–3–99 | 31–3–99 | 1–4–99 से 31–3–2002 | 14/53/95 |
| 14. | मै०,डिजाइन्स एंड प्रोटोटाइपस, एल–24, डा० वी० एस० आई० स्टेट, थि रुवेनमियर, चेन्नई–600041. | टीएन/16023 | 18–1–96 | 31–3–96 | 1–4–96 से 31–3–99 1–4–99 से 31–3–2002 | 2/1398/86 |
| 15. | मै० तिजरलेण्ड ऐपालिकेटर्स प्रा० लि०, 25ए, सिडको इन्डस्ट्रियल स्टेट, अम्बाटूर, चेन्नई–600098. | टीएन/19917 | 26–8–98 | 31–8–88 | 1–9–98 से 31–8–2001 | 2/4815/93 |
| 16. | म० वोसनस ऐनर्जी सिस्टम्स प्रा० लि०, सी–14/2, इन्डस्ट्रियल स्टेट, थुवाकुडी, त्रिचि–600015 तथा शाखाएं। | टीएन/19918 | 19–3–99 | 28–2–98 | 1–3–98 से 28–2–2001 | 2/3614/91 |
| 17. | मै० कमला सोलवेन्ट, 1, करुर मार्ग, थिन्दीगुल (टी० एन०)। | टीएन/20053 | 19–8–98 | 30–4–98 | 1–5–98 से 30–4–2001 | 2/1849/68 |
| 18. | मै० काथिरवेल टैक्सटाइल्स प्रा० लि०, करायकुडी त्रिथुपाटूर मार्ग, नाक्कीपूर्म– 630207 | टीएन/20113 | -- | 29–2–96 | 1–3–96 से 28–2–99 1–3–99 से 28–2–2002 | 2–32–92/90 |
| 19. | मै० आर० एम० ट्रेडिंग क० 156, थाम्बूचेट्टी, चेन्नई–600451. | टीएन/22300 | 19–1–94 | 28–2–93 | 1–3–93 से 29–2–96 | 2/2737/90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | मै० तफजैक्स रोबोटिक्स कम्पनी, प्लाट नं० 54, इन्डस्ट्रियल स्टेट, अम्बाटूर चेन्नई-600058 तथा शाखाएं। | टीएन 22820 | 2-12-96 | 31-10-97 | 1-11-97 से 31-10-2000 | 2/5290/93 |
| 21. | मै० बैविन्गटन्स इंडिया, 55, राजामुथई मार्ग, परियामेट, चेन्नई-600003. | टीएन 31243 | 11-3-99 | 30-6-98 | 1-7-98 से 30-6-2001 | 14/494/98 |
| 22. | मै० एम० वी० पिल्ले मरियामल मट्रीकुलेशन हायर सैकण्डरी स्कूल, धिन्दीगुल। | टीएन 20802 | 11-3-99 | 31-3-93 | 1-4-93 से 31-3-96 1-4-96 से 31-3-99 | 2/3001/93 |

## अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाये तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

ए. के. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/5389—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है, जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आ. प्र. ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत डील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी है ।

अनुसूची-1

| क्रम संख्या | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै० भाकडा ऐग्रो कैमिकल्स लि०, 6-3-1109/1 तिसरी मंजिल, राजभवन मार्ग, हैदराबाद-500482 | ऐपी/20019 | 1-3-93 से 29-2-96<br>1-3-96 से 28-2-99<br>1-3-99 से 28-2-2002 | 1/106/99/डीएलआई |
| 2. | मै० इंडिया रबड़ प्रोडक्टस, 7वी मंजिल, डी-ब्लाक, सुर्या टावर्स, एस० पी० मार्ग, सिकन्दराबाद | ऐपी/4845 | 1-4-90 से 31-3-93<br>1-4-93 से 31-3-96<br>1-4-96 से 31-3-99<br>1-4-99 से 31-3-2002 | 1/107/99 |
| 3. | मै० टिबरेवाला इलैक्ट्रानिक्स लि०, प्लाट नं० 17, श्री वेंकेश्वारा कौप० इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कुडाटपल्ली, हैदराबाद-500057 | ऐपी/26389 | 1-10-96 से 30-9-99<br>1-10-99 से 30-9-2002 | 1/108/99 |
| 4. | म० इनफटेश इनटरप्राइजेस लि०, अमीरपेट हुडा कम्पलैक्स 608, वर्धीवायम, हैदराबाद-500038 | ऐपी/28034 | 1-7-97 से 30-6-2000 | 1/109/99 |
| 5. | मै० संजय स्टरल इलैक्ट्रीक कोप० सोसायटी लि०, जोगीपेट, मेंडक जिला-502270 ऐ० पी० | ऐपी/14259 | 1-12-92 से 30-11-95<br>1-12-95 से 30-11-98<br>1-12-98 से 30-11-2001 | 1/110/99 |
| 6. | मै० लोकेश मशीनस लि०, बी-29, ई० ई० आई० स्टीज-2, बालानगर, हैदराबाद-500037 | ऐपी/19525 | 1-3-95 से 28-2-98<br>1-3-98 से 28-2-2001 | 1/111/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | मै० हाईटेच प्रिन्टर्स सिसटमस लि०, प्लाट नं० 7, इन्डस्ट्रियल स्टेट, पेडा, अडतापल्ली–521286 (ऐ०पी०) | ऐपी/19414 | 1–1–97 से 31–12–99 | 1/112/99 |
| 8. | मै० हैदराबाद इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज टाउनशिप, हैदराबाद (ऐ०पी०) | ऐपी/1953 | 1–6–90 से 31–5–93<br>1–6–93 से 31–5–96 | 1/113/99 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के निबंधों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो स्कीम रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तलेगा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 14 जनवरी 2000

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-2/5401—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना की तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है :—

अनुसूची–1

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि की | के०भ०नि०आ० की फाईल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० मैकिन्स एग्रो प्राडक्टस प्रा० लि०, 6–3–866/ए, बेगमपेट, ग्रीनलैण्डस, हैदराबाद–500016 (ऐ०पी०)। | ऐपी/12964 | 2/1959/डीएलआई/एक्जम/89/टीटी–II दि० 12–7–91 | 29–2–92 | 1–3–92 से 28–2–95<br>1–3–95 से 28–2–98<br>1–3–98 से 28–2–2001 | 2/3673/91/डीए लआई |
| 2. | मै० इलग्रो इंटरनेशनल लि०, स्विचगियर मैनुफेक्चिरिंग सैंटर (पहला नाम स्विच गियर लि०) प्लाट नं० 89 तथा 90, आई० डी० ए० गांधी नगर, पो० बालानगर, हैदराबाद–37. | ऐपी/1826 | 24–8–95 | 31–12–96 | 1–1–97 से 31–12–99 | 2/3374 |
| 3. | मै० इंडियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा० लि०, 39–21–40, माध्वाधारा, विशाखापटनम–530007 आ० प्र०। | ऐपी/5456–ए | 22–12–92 | 9–3–95 | 10–3–95 से 9–3–98<br>10–3–98 से 9–3–2001 | 2/1314/88 |
| 4 | मै० क्रांति रोड ट्रांसपोर्ट (प्रा०), लि०, मुख्य कार्यालय, 100 फीट रोड, जवाहर आटो नगर, विजयवाडा–520007. | ऐपी/16585 | 18–10–92 | 28–2–95 | 1–3–95 से 28–2–98<br>1–3–98 से 28–2–2001 | 2/3204/90 |
| 5. | मै० ऐक्मन इन्डस्ट्रीज लि०, एच–6बी, पहली मंजिल, मिनर्वा काम्पलैक्स, 94, एस० डी० मार्ग, सिकन्दराबाद–500003. | ऐपी/5827 | 25–10–96 | 31–7–97 | 1–8–97 से 31–7–2000 | 2/4213/92 |

## अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसको स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी के व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में, भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

स. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/5410—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि उनके कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन में प्रत्येक उक्त स्थापना के आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि | के०भ०नि०आ० की फाइल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मै० एसपिनवाल एण्ड कम्पनी पो०बा० नं० 2, कोचीन-682001 केरला | के आर/केके 1057 | 2/1959/डी० एल० आई/एकजम/89/पोटो-11 दि 1-9-91 | 31-12-91 | 1-1-92 से 31-12-94 1-1-95 से 31-12-97 1-1-98 से 31-12-2000 | 2/3777/91/ डी एल आई |
| 2. | मै० तिरुवनन्तपुरम जिला को० पं० बैंक लि०, पो० बा० नं० 5122, तिरुवनन्तपुरम-23 | के आर/1896 | 26-12-97 | 30-6-94 | 1-7-94 से 30-6-97 1-7-97 से 30-6-2000 | 8/11/96 |
| 3. | मै० केरला एग्रो मशीनरी कारपोरेशन लि०, पो० ओ० अथानी डिस्ट्रिक अरूणाकुलमकेरल-683586 | केआर/केके 3375 | 1-9-91 | 31-11-90 | 1-12-90 से 30-11-93 1-12-93 से 30-11-96 1-12-96 से 30-11-99 | 2/3738/91 |
| 4. | मै० इण्डियन काफी बोर्ड वर्क्स को० आप सोसायटी लि०, नं० 4227, मुख्य कार्यालय, एम० जी मार्ग, पो० बा० नं० 184, त्रिसुर —680001 | के आर/केके 1971 | | 30-9-90 | 1-10-90 से 31-3-93 | 2/3720/90 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निदेश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/ डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/5418—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है :—

अनुसूची–1

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै० न्योप्राइड (इंडिया) प्रा० लि०, 144, शिवाराम विलेज पैरुणगुडी, चेन्नई–600096 | टीएन/10510 | 1–2–97 से 31–1–2000 | 14/673/99/डीएलआई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | मैं० दि किलपोक बैनिफिक्स सिक्योरिटी लि०, नं० 61, न्यू आवादी मार्ग, किलपोका, चेन्नई–600010 तथा शाखाएं | टीएन/11744 | 1–9–97 से 31–8–2000 | 6/674/99 | |
| 3. | मैं० लेदर क्राफ्ट्स (इंडिया) प्रा० लि०, किलकालावाई, चेन्नई–600117 | टीएन/16582 | 1–9–92 से 31–8–95<br>1–9–95 से 31–8–98<br>1–9–98 से 31–8–2001 | 14/675/99 | |
| 4. | मैं० ब्रिलियन्ट क्राटिंगस (प्रा०) लि०, 3/11-ए, सेंचाचाल्ला, जर्मनी स्ट्रीट, चेन्नई–600019 तथा शाखाएं | टीएन/23464 | 1–5–98 से 30–4–2001 | 14/677/99 | |
| 5. | मैं० शिवांन्ति आदितानार, कालेज आफ फिजिकल एजुकेशन तिरूनेलवली मार्ग, तिरूचेन्दुर–628215 | टीएन/24344ए | 1–3–97 से 29–2–2000 | 14/678/99 | |
| 6. | मैं० धरानी शुगर्स एण्ड कैमिकल्स लि०, काराईपोण्डी विलेज चेतपाटूट मार्ग, पोलुर–606803 | टीएन/वीएल/24810ई | 1–3–99 से 28–2–2002 | 14/679/00 | |
| 7. | मैं० नागप्पा मोटर्स, नं० 13, बलफोर मार्ग, किलपोक, चेन्नई–600010 | टीएन/26220 | 1–4–99 से 31–3–2002 | 14/680/99 | |
| 8. | मैं० फलोरा फूटवियर प्रा० लि०, किलाचूर विलेज, पाल्लीकोण्डा वैल्लूर–632802 | टीएन/वीएल/26546 | 1–8–97 से 31–7–2000 | 14/681/99 | |
| 9. | मैं० यूनिको शू एसेसरीस प्रा० लि०, गांव, कालीचूर, पाल्लीकोण्डा–535809 | टीएन/वीएल/26818 | 1–8–97 से 31–7–2000 | 14/682/99 | |
| 10. | मैं० श्रीराम कार्वन्स नं० 47ए, पिल्यार कोयल स्ट्रीट, जफरकानपेट, चेन्नई–600095 | टीएन/30125 | 1–11–94 से 31–10–97<br>1–11–97 से 31–10–2000 | 14/683/99 | |
| 11. | मैं० सियेरा ट्रेडिंग लि०, 96/2, अन्ना सलाई, नगलकेनी, चेरोमपेट, चेन्नई–600044 | टीएन/30433 | 1–10–66 से 30–9–99 | 14/684/99 | |
| 12. | मैं० ओरियन्ट एक्सप्रेसस, नं० 26बी, जवाहरलाल नेहरू सलाई थिरूविक्का इन्डस्ट्रीयल इस्टेट इक्काडुथान्गुल, चेन्नई–600097 | टीएन/30928 | 1–2–99 से 31–1–2002 | | |
| 13. | मैं० मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (चेन्नई डिविजन–II) लि०, नं० 4, अन्देशन स्ट्रीट अएनावरम, चेन्नई–600023 तथा शाखाएं | टीएन/31509 | 19–1–94 से 18–1–97<br>19–1–97 से 18–1–2000 | 14/686/99 | |
| 14. | मैं० श्रीमुनि पच्चाइयाप्पान टैक्सटाइल्स प्रा० लि०, इपेडू विलेज, सोलिमुर–631102 | टीएन/31552 | 1–3–95 से 28–2–98 | 14/687/99 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | मै० लाइट एलो प्रोडक्टस लि०, गाव पुलीवालम, पानावारम पोस्ट–632505 सौलिगुर | टीएन/35959 | 1–10–96 से 30–9–99 | 14/688/99 |
| 16. | मै० एबीआई स्विच (इंडिया) लि०, पुलिवालम, वानावारम–632505 | टीएन/31573 | 1–10–96 से 30–9–99 | 14/689/99 |
| 17. | मै० ब्लक स्टोन मार्किट फैक्टस इंडिया प्रा० लि०, डी–109, एल बी आर काम्पलैक्स, पहली मंजिल पहला मैन मार्ग, अन्ना नगर, चेन्नई- 600102 तथा शाखाए | टीएन/40583 | 1–11–98 से 31–10–2001 | 14/692/99 |
| 18 | मै० तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कार्पोरेशन लि०, नं० 19ए, रुकमनि लक्ष्मीपती मार्ग, (मार्शलस मार्ग) इगमोर, चेन्नई–600008 | टीएन/16853 | 1–1–79 से 31–12–1981<br>1–1–1982 से 31–12–84<br>1-1-85 से 31–12-87<br>1–1–88 से 31–12–90<br>1–1–91 से 31–12-93<br>1-1–94 से 31–12–96<br>1-1-97 से 31–12–99 | 14/693/99 |
| 19. | मै० अवान ल्लयोड चिलिज ऑफ सोरे लि०, नं० 96, पैन्थोन मार्ग, इगमोर, चेन्नई–600008 | टीएन/30483 | 1–10–93 से 30–9–96<br>1–10–96 से 30–9–99 | 14/694/99 |
| 20. | मै० टी० आई० साइक्लस ऑफ इण्डिया, अम्बाट्टर, चेन्नई–600053 | टीएन/307 | 1–1–89 से 31–12–91<br>1–1–92 से 31–12–94<br>1–1–95 से 31–12–97<br>1–1–98 से 31–12–2000 | 14/695/99 |
| 21. | मै० प्रिमियम ग्रेनिटिस लि०, फैक्टरी 73/77 सिपकोट इन्डस्ट्रियल इस्टेट, फेस -2 रानीपेट, चेन्नई | टीएन/26777 | 1–3–93 से 29–2–96<br>1–3–96 से 28–2–99<br>1–3–99 से 28–2-2002 | 14/697/99 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा नामों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

नई दिल्ली-110066, दिनांक 14 जनवरी 2000

सं० सम्मेलन 5/15/95-तामिलनाडु/5440—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 5 के साथ पठित पैराग्राफ 4 के उप-पैराग्राफ (1) के अनुसरण में अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि एक नियोक्ता प्रतिनिधि श्री एम० एम० रमेश के स्थान पर श्री पी० शक्तिवेल को क्षेत्रीय समिति तामिलनाडु (नियोक्ता प्रतिनिधि) के सदस्य के रूप में नामित करते हैं और भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड 4 में दिनांक 30-8-1997 में प्रकाशित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली की अधिसूचना सं० सम्मेलन 5/(15) 95/टी० एन०/1293 दिनांक 2-7-1997 में निम्नलिखित संशोधन करते है ।

उक्त अधिसूचना में क्रम सं० 7 के समक्ष दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्.—

"श्री पी० शक्तिवेल, महाप्रबन्धक (कार्मिक), मैसर्स ई० आई० डी० पेरी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दक्षिण भारतीय चीनी मिल्स एसोसियेशन, करुमुट्टू सेन्टर (द्वितीय तल), 498 अन्नासलई, चेन्नई-600035 ।"

अजय सिंह,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 15 जनवरी 2000

सं. 2/1959/डी. एल./आई./एक्जम/89/भाग-4/5456—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की की तिथि | के० भ० नि० आ० की फाइल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | म० ज्योति लि०, इण्डस्ट्रीयल एरिया, बड़ोदरा–390003 | जीजे/74 | 2/1959/डी० एल० आई/एक्जम/दिनांक 1–1–90 | 31–12–90 | 1–1–91 से 31–12–93 1–1–94 से 31–12–96 1–1–97 से 31–12–99 | 2/2035/88/ डी० एल० आई० |
| 2. | मे० सीमा टैक्सटाईल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, रखिल रोड अहमदाबाद | जीजे/288 | 18–1–94 | 30–6–96 | 1–7–96 से 30–6–99 | 2/2774/90 |
| 3. | मै० बिराला वी० एक्स० एल० लि०, सौराष्ट्र केमिकल्स, बिरला सामर, पोरबन्दर–360576 | जीजे/1367 | 26–10–97 | 20–1–96 | 21–1–96 से 20–1–99 | 2/17/79 |
| 4. | मै० टोरेन्ट केबल्स लि०, चाणक्या 7 मंजिल, टोरेन्ट हाउस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद––380009 | जीजे/4367 | 14–11–97 | 31–1–98 | 1–2–98 से 31–1–2001 | 2/4789/92 |
| 5. | मै० दि सबरकान्था डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को० आप० बैंक लि०, हिम्मत नगर, गुजरात | जीजे/4665 | 29–8–97 | 4–2–98 | 5–2–98 से 4–2–2001 | 2/1327/85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | मै० कैडमैच मशीनरी कम्पनी प्रा० लि०, 3604, 3605, जी० आई० डी० सी० इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेस -4 वटवा, अहमदाबाद । | जीजे/6087 | 18-1-94 | 29-2-96 | 1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 28-2-2002 | 2/710/82 |
| 7. | मै० अमीन मशीनरी, सी-1/12, बिठ्ठल उद्योग नगर, वल्लभ विद्या-नगर, गुजरात । | जीजे/7400 | 18-1-94 | 29-2-96 | 1-3-96 से 28-2-99 1-3-99 से 28-2-2002 | 2/4823/93 |
| 8. | मै० के० बो० मैहता एण्ड कम्पनी दन हाउस, भदरा, अहमदाबाद । | जीजे/11784 | 27-1-94 | 28-2-95 | 1-3-95 से 28-2-98 | 2/3327/90 |
| 9. | म० नीला भारत इंजीनियरिंग लि, फर्टीलाइजर नगर गेट के सामने, पी० ओ० फर्टीलाइजर, नगर, बड़ौदा-390005 | जीजे/11879 | 26-10-97 | 31-3-98 | 1-4-98 से 31-3-2001 | 2/13/95 |
| 10. | मै० सुलेमानी को० आप० बैंक लि०, मोगलवाड़ा, बड़ोदरा-17 | जीजे/11952 | 5-9-92 | 31-12-94 | 1-1-95 से 31-12-97 1-1-98 से 31-12-2000 | 2/4115/92 |
| 11. | मै० प्रशान्त इंजीनियरिंग कं० 4/1-ए, जी० आई० डी० सी० एस्टेट, फेस-1, वटवा अहमदाबाद-382445 | जीजे/12257 | 17-1-74 | 30-11-95 | 1-12-95 से 30-11-98 | 2/4104/92 |
| 12. | मै० गुजरात प्रिपैक लि०, दसवीं मंजिल नेपचन, टावर, अल्कापुरी बड़ौदा-5 | जीजे/16077 | 27-1-99 | 31-12-98 | 1-1-99 से 31-12-2001 | 2/4027/92 |
| 13. | मै० वलकम ग्रुप, बड़ोदरा, आर० सी० दत्त रोड, बड़ौदा-390005 | जीजे/17531 | 10-1-94 | 31-5-96 | 1-6-96 से 31-5-99 | 2/5332/93 |
| 14. | मै० प्रशान्त स्टील बाल्स क० लि०, सरदार इण्डस्ट्रीयल एस्टेट रोड, नं० 4, अजवा रोड, बड़ौदा-390019 । | जीजे/20017 | 26-10-97 | 28-2-98 | 1-3-98 से 28-2-2001 | 2/2/95 |
| 15. | मै० यूनिफैबस इंजीनियर्स 107, जी० आई० डी० सी०, मकरपुरा, बड़ौदा-10 | जीजे/17389 | 23-8-91 | 31-3-94 | 1-4-91 से 31-3-97 1-4-97 से 31-3-2000 | 2/3710/91 |

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते हैं तो छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती जो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-4/एक्जम/89/5475—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हुं है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई भी अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त संगरूर/अमृतसर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए [illegible] प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची—1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० एस० जी० जी० एस० कालेज आफ फार्मेसी, सेक्टर-26, चण्डीगढ़ | पी० एन 14718 | 1-8-97 से 31-7-2000 | 12/54/98 डी० एल० आई० |
| 2. | मै० अग्रवाल एण्ड ब्रदर्स, कश्मीर रोड, अमृतसर | पी० एन 17423 | 1-3-97 से 29-2-2000 | 12/25/99 |

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन उचित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले ही अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. जैन
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/89/5481—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।)

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28 (7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड सं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फं० सं० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै० आयशर पहला नाम इक्युपमैन्ट कोण्डामाडुगु, वोबी नगर, जिला नालगोंडा-508126, आ० प्र० | ए०पी०/18240 | 1-12-88 से 30-11-91<br>1-12-91 से 30-11-94<br>1-12-94 से 30-11-97<br>1-12-97 से 30-11-2000 | 1/102/99 डी० एल० आई० |
| 2. | मै० ओडिन रिटिडर्स प्रा० लि०; 55-6-10, प्लाट नं० 226/227, पांचवां मार्ग, आटो नगर, वियवाडा, आ० प्र० | ए० पी०/ 23137 | 1-3-96 से 28-2-99<br>1-3-99 से 28-2-2002 | 1/114/99 डी० एल० आई० |
| 3. | मै० जय टैक्सटाइल प्रा० लि०, मेकाला वारी स्ट्रीट, पाचवां राईट, जन्डोचेट्टी मार्ग, विजयवाड़ा-520001 | ए० पी०/30091 | 1-3-99 से 28-2-2002 | 1/115/99 |
| 4. | मै०डी० ई० सा० इण्डिया प्रा० लि०, तीसरी मंजिल गपुल्ला रेडी बिल्डिंग, 6-3-879 तथा 879 बी बेगमपेट, हैदराबाद 500026 । | ए पी/32184 | 1-11-97 से 31-10-2000 | 1/116/99 |
| 5. | मै० स्टेट बैंक आफ इण्डिया स्टाफ कोप क्रेडिट सोसायटी, एस० बी०आई० बिल्डिंग बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500095 | ए० पी०/3796 | 1-1-97 से 31-12-99 | 1/117/99 |
| 6. | मै० टाटा कोमुनिकेशन्स 5-9-621, खामलेट आफ खाम स्टेट, पत्थ मैदान मार्ग, हैदराबाद-500001 | ए० पी०/32376 | 1-7-98 से 30-6-2001 | 1/118/99 |
| 7. | मै० नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (एपीके० के० एण्ड एम०) लि०, 159, गनफाऊंडरी मार्ग, स्टेट बैंक के सामने, हैदराबाद-500001 | ए० पी०/11878 | 1-9-89 से 31-8-92<br>1-9-92 से 31-8-95<br>1-9-95 से 31-8-96<br>1-9-98 से 31-8-2001 | 1/119/99 |

**अनुसूची-2**

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत बाबश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन को बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/5492—अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, चैन्नई, मदुराई, कोयम्बतूर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।]

अनुसूची-1

| क्र० सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० वर्धालक्ष्मी मिल्स लि०, राजाकाम्बीराम जिला, शिवगगें तथा-623609 तथा शाखाएं | टीएन/4187 | 1-10-91 से 30-9-94<br>1-10-94 से 30-9-97 | 14/668/99/डीएलआई |
| 2. | मै० रामालक्ष्मी मिल्स 439, काटन मिल्स मार्ग, पिलामेंडु कोयम्बटूर-641004 | टीएन/6348 | 1-8-88 से 31-7-91<br>1-8-91 से 31-7-94<br>1-8-94 से 31-7-97<br>1-8-97 से 31-7-2000 | 14/669/99 |
| 3. | मै० टी० टी० के० टैक्सटाइल्स लि०, 6, काथेडूल मार्ग, चेन्नई-600086 तथा शाखाएं | टीएन/6839ए | 1-8-89 से 31-7-92<br>1-8-92 से 31-7-95<br>1-8-95 से 31-7-98<br>1-8-98 से 31-7-2001 | 14/646/99 |
| 4. | मै० मिहिरा इन्जीनियरिंग इक्यूपमेंट प्रा० लि०, नं० 33 दसवां एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 | टीएन/31700 | 1-9-98 से 31-8-2001 | 14/671/99 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा-जोखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली राशि किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/5500—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा के उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची 1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि | के० भ० नि० आ० की फाइल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० रफटेक्सब्रेटटस कं० लि०, डा० एन्नी बसन्त मार्ग, वोरली, मुम्बई–3 | एम० एच०/1067 | 2/1959/डी० एल० आई./एक्जम/89/दिनांक 11-7-97 | 11–2–95 | 12–2–95 से 11–2–98 12–2–98 से 11–2–2001 | 2/833/82/ डी० एल० आई० |
| 2. | मै० दी अकोला जिला सन्ट्रल को आप० बैंक लि०, पो० बा० नं० 8 सिविल लाईन, अकोला–444001 तथा शाखाएं | एम० एच०/6934 | 7–4–93 | 6–2–92 | 7–2–92 से 6–2–95 7–2–95 से 6–2–98 7–2–28 से 8–2–2001 | 2/419/80 |

अनुसूची-

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एल. तनेजा

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/डी. एल. आइ./एक्जम/89/भाग-2/5506 जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे है जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है), ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उसके नाम के सामने दर्शाया है ।

अनुसूची–1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तथि | के० भ० नि० आ० की फाइल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मै० आगरा इंजीनियरिंग इण्ड-स्ट्रीज पी० ओ० अरतोनी आगरा–7 | यू पी/4067 | 2/1959/डी० एल आई/21–11–86 एक्जम/दिनांक 22–11–83 | | 22–11–86 से 21–11–89 22–11–89 से 21–11–92 22–11–92 से 21–11–95 22–11–95 से 21–11–98 | 2/892/83/ डी० एल०आई |
| 2. | मै० अल्मोरा मेगन्साईट लि०, मुख्य कार्यालय मेडला पी० ओ० बिलोरी 263630 जिला अल्मोरा (यू० पी०) | यू पी/4487 | 4–12–97 | 30–4–97 | 1–5–97 से 30–4–2000 | 15/20/96 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसके स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जो बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./भाग-1/एक्जम/89/5512

जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सूरत/बड़ौदा ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के स्थापन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची–1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | मै० इण्डस्ट्रीयल आक्सीजन कम्पनी लि०, विलेज जुनी जिथारदी, पोस्ट एण्ड तल, कर्जन डिस्ट० बड़ौदा–391240 | जी जे/10017–सी | 1–2–96 से 31–1–99 | 4/153/99/डी एल आई |
| 2. | मै० पंचमहल डाईस्टफ इण्डस्ट्रीज, प्लाट नं० 736, जी० आई० डी० सी० स्टेट अंकलेश्वर–393002, जिला भरुच | जीजे/सूरत 18636 | 1–10–98 से 30–9–2001 | 4/154/99 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खंड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले किसी रीति से कम हो जाते तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।"]

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जम/89/भाग-2/5518 जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि से उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची 1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की तिथि | के० भ० नि० आ० की फाइल सं० |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | मै० दी आ प्रदेश स्टेट फेडरेशन आफ को ओ शुगर फक्टरीज लि० 5-9-194, चिराग अली लेन हैदराबाद-500001 | ए पी/18758 | 2/1959/डी एल आई एक्जम/89/पी टी/दि० 21-2-97 | 30-11-98 | 1-12-98 से 30-11-2001 | 2/3370/90-डी एल आई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | मै० एस० वी० आर० डांग इन ग्रेनाइट कं० चित्तौरकेलापथू विलेज मैंगरी-चित्तौर जिला आ० प्र० | ए पी/18576 | 21-2-97 | 31-12-98 | 1-1-99 से 31-12-2001 | 2/4246/92 |
| 3. | मै० मार्गदर्शी चिटफण्ड लि०, मार्गदर्शी हाउस, अबाईड सेन्टर, हैदराबाद | ए पी/3527 | 3-3-87 | 16-3-90 | 17-3-90 से 16-3-93 | 2/1007/84/ |
| | | | | | 17-3-93 से 16-3-96 | डी एल आई |
| | | | | | 17-3-96 से 16-3-99 | |
| | | | | | 17-3-99 से 16-3-2002 | |

अनसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमे के सदस्य के रूप में अपना नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो जब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशिती/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एल. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

14, भीकाजी कामा प्लेस

सं. 2/1959/डी. एल.आई./भाग-4/एक्जम/89/5525—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि इनके कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विभाग न स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है ।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फा. सं० |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1. मै० होलटेक कनसलटिंग प्रा० लि०, 45/49, कम्युनिटि सेन्टर, नारायणा फेस-1, नई दिल्ली-28 | डी एल/5385 | 1-12-89 से 30-11-92<br>1-12-92 से 30-11-95<br>1-12-95 से 30-11-98 | 3/110/99/डी एल० आई० |
| 2. | मै० दि० हिमालय डूग कं० 20, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-15 | डी० एल०/7710 | 1-12-92 से 30-11-95<br>1-12-95 से 30-11-98 | 3/119/99 |
| 3. | मै० के० एण्ड कम्पनी, पम्प घोष एनक्लेव,न ई दिल्ली-48 | डी एल०/7815 | 1-11-97 से 31-10-2000 | 31/120/99 |
| 4. | मै० एम० सी० एस० लि०, श्री वेंकटेश भवन, 212-ए, शाहपुरजट नई दिल्ली-110049 | डी एल/8041 | 1-7-88 से 30-6-91<br>1-7-91 से 30-6-94<br>1-7-94 से 30-6-97 | 3/121/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मै० स्टार होटल्स, लि०, 11, सुरेन्द्र नगर, नई दिल्ली-3 | डीएल/8087 | 1-10-88<br>से<br>1-10-91<br>1-10-91<br>से<br>30-9-94<br>1-10-94<br>से<br>30-9-97 | 3/122/99 |
| 6. | मै० अरावली सक्युरिटीज एण्ड फाइनांस लि०, यूको बैंक, बिल्डिंग तीसरी मंजिल, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1 | डी एल/8370 | 1-1-90<br>से<br>31-12-92<br>1-1-93<br>से<br>31-12-95<br>1-1-96<br>से<br>31-12-98 | 3/123/99 |
| 7. | मै० स्कोर्पिओ इन्टरनेशनल बी-126, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया फेज-1. नई दिल्ली-20 | डी एल/10969 | 1-4-90<br>से<br>31-3-93<br>1-4-93 से<br>31-3-96<br>1-4-96 से<br>31-3-99 | 3/124/99 |
| 8. | मै० ए० के० मरवाह एण्ड एसोसियेट्स प्रा० लि०, सी०-30, ओखला इण्ड० एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-20 | डी एल/11764 | 1-4-90<br>से<br>31-3-93<br>1-4-93<br>से<br>31-3-96<br>1-4-96<br>से<br>31-3-99 | 3/125/99 |
| 9. | मै० कास्टिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया कानिष्का प्लाजा के सामने, चौथी मंजिल, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 | डी एल/14380 | 1-7-92<br>से<br>30-6-95<br>1-7-95 से<br>30-6-98 | 3/126/99 |
| 10. | मै० बी० एच० पी० ई० मिनरल्स इण्डिया प्रा० लि० ए-302, ऋषि अपार्टमेंट्स, अलकनन्दा, कालका जी, नई दिल्ली-19 | डी एल/19200 | 1-2-98<br>से<br>31-1-2001 | 3/127/99 |
| 11. | मै० एस्को सेनीटेशन्स सी-58/1, वजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-52 | डी एल/1646 | 1-12-96<br>से<br>30-11-99 | 3/115/99 |

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमे के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उन लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो तब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियम तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट दी गई है तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एल. तनेजा

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

स. 2/1959/डी. एल. आई./एक्सम/89/भाग-4/5540—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 के निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है जो कि संलग्न अनुसूची-1 में उसके नाम के सामने वर्णित है।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड सं० | सरकारी अधिसूचना की सं० व दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान/विस्तार की गई | छूट समाप्ति की तिथि | छूट विस्तार की की तिथि | के० भ० नि० आ की फाइल सं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० इण्डियन एल्यूमिनियम कम्पनी लि०, पो० आ० हिराकुड जिला सम्बलपुर, उडीसा | ओ आर/332 | 2/1959/डी एल आई एक्जम/89/दिनांक 29-1-96 | 31-3-96 | 1-4-96 से 31-3-99<br>1-4-99 से 31-3-2002 | 2/28/76/ डी०ए ल० आई० |

अनुसूची-1

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमे के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपान्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय हो तो तब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाते तो स्कीम रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जिसे बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रह जाता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

के. एस. तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

सं. 2/1959/डी. एल. आई/भाग-4/एक्जम/89/5525—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हैं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मंगलौर ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के संचालन की छूट प्रदान कर दी गई है।

अनुसूची-1

| क्रम सं० | स्थापना का नाम और पता | कोड नं० | छूट की प्रभावी तिथि | के० भ० नि० आ० फा० नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मै० दि कौमर्शियल कार्पोरेशन आफ इंडिया टाइल फैक्टरी मार्ग मनिपाल-576119 | के एन/12810 | 1-3-99 से 28-2-2002 | 6/64/99/डीएलआई |
| 2. | मै० मोटको एजेन्सी टाइल फैक्टरी मार्ग, मनिपाल-576119 | के एन/12811 | 1-3-99 से 28-2-2002 | 6/66/99 |
| 3. | मै० पवन इन्टरप्राइजेज टाइल फैक्टरी मार्ग, मनिपाल-576119 | के एन/20156 | 1-3-99 से 28-2-2002 | 6/65/99 |

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के आधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय, आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ायें जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय है तो जब वह उक्त स्कीम के आधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधि वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों के यदि यह छूट दी गई हो तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने वाले लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के आने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

के० एल० तनेजा
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

---

## भारतीय यूनिट ट्रस्ट
## मुंबई
## 07 जनवरी, 2000

सं० यूटी/डीबीडीएम/आर-225 एसपीडी-3/99-2200—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत निर्मित निम्नलिखित योजनाओं :

(1) प्राइमरी इक्विटी फंड
(2) ग्रैण्डमास्टर यूनिट योजना 1993
(3) पूंजीवृद्धि यूनिट योजना 1992
(4) मास्टर शेयर प्लस यूनिट योजना 1991
(5) इक्विटी अपर्च्युनिटी फंड 1996
(6) यूनिट वृद्धि योजना 2000
(7) यूनिट वृद्धि योजना 5000
(8) यूगिट योजना 1992

तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19(1) (8) (ग) के अन्तर्गत निर्मित निम्नलिखित प्लानों :

(1) चिल्ड्रन्स कॉलेज एंड कैरियर फंड यूनिट प्लान 1993
(2) यूनिट संबद्ध बचत प्लान 1971

जो उक्त अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत निर्मित यूनिट योजना के संबंध में हैं, के प्रावधानों में किए गए संशोधन, जिन्हें 1 मई, 1999 को संपन्न कार्यकारी समिति की बठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किए जाते हैं ।

ए० जी० जोशी,
मुख्य महाप्रबन्धक,
व्यवसाय विकास एवं विपणन

अनुबंध

### प्राइमरी इक्विटी फंड (पीईएफ) के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'भुगतान विधि' शीर्षक युक्त खण्ड IX के उपखंड 2 के दूसरे पैरा के पहले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की वसूली के अधीन, वह तिथि होगी जिस तिथि को ट्रस्ट के शाखा कार्यालय अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है ।

(2) 'शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का निर्धारण' शीर्षक युक्त खण्ड XIII के तीसरे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

एनएवी का प्रकाशन प्रतिदिन कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में किया जाएगा ।

(3) 'बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड के उप-खण्ड (1) के पहले पैरा के आखिरी वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

बिक्री मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी ।

(4) 'बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खंड XIX के उप खंड (1) के दूसरे परा के दूसरे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी ।

अनुबंध

### ग्रैंडमास्टर यूनिट योजना-1993 (ग्रैंडमास्टर-93) के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'खर्चों पर सीमा' शीर्षक युक्त खण्ड 5 के प्रथम वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

निम्नलिखित व्ययों को आवर्ती आधार पर योजना पर प्रभारित किया जाएगा, जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत दैनिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3 % से अधिक नहीं होंगे ।

(2) आवर्ती व्ययों का प्रतिशत देने वाली सारणी के बाद पहले पैरा के 2रे और 3रे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

तथापि, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर होंगे । इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, लेखा वर्ष के दौरान योजना के दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मल्य के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

(3) 'यूनिटों की बिक्री' शीर्षक युक्त खण्ड VI के उपखण्ड (ङ) के तीसरे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की वसूली के अधीन, वह तिथि होगी जिस तिथि को ट्रस्ट के शाखा कार्यालय अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्त किया जाता है :

(4) 'दिनांक 01/08/1996 से योजना को सतत खुला कर दिया गया' शीर्षक युक्त खण्ड XIV की आखिरी पंक्ति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

बिक्री मूल्य दैनिक आधार पर निर्धारित तथा घोषित किए जाने वाले एनएवी पर होगा ।

5. 'बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड XIX के उप-खण्ड (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

वह मूल्य जिस पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटें बेची जाएंगी (जिसे इसके बाद "बिक्री मूल्य" कहा गया है) और वह मूल्य, जिस पर यूनिट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएंगी (जिसे इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा गया है) की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी । एनएवी (पूर्ववर्ती) ही बिक्री मूल्य होगा । पुनर्खरीद मूल्य एनएवी (पूर्ववर्ती) के 50% के बट्टे पर होगा ।

6. 'शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटन' शीर्षक युक्त खण्ड XXIII के पहले पैरा के अंतिम वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

एनएवी (पूर्ववर्ती आधार पर) प्रेस को प्रकाशन हेतु प्रति-दिन जारी किया जाएगा ।

7. 'यूनिटों का कारोबार' शीर्षक युक्त खण्ड XXIV के उप-खण्ड के दूसरे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

ट्रस्ट निर्धारित शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा प्रतिदिन करेगा और मूल्य की सूचना भाव उद्धृत करने के उद्देश्य से सभी स्टाक एक्सचेंजों को दी जाएगी :

8. 'विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान (डी आरएफ)' शीर्षक युक्त खण्ड XXX को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा ।

9. 'कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान' शीर्षक शीयुक्त खण्ड XXXI को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का 0.10% ट्रस्ट के कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा ।

अनुबंध

पूंजी वृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टरगेन-92) के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'यूनिटों के लिए आवेदन' शीर्षक युक्त खण्ड 5 के उप-खण्ड (6) की मद (ख) के दूसरे वाक्य 'यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट को जारी करने की तिथि होगी बशर्ते आवेदन, ट्रस्ट अथवा प्राधिकृत बैंक की नामित शाखा अथवा प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा ड्राफ्ट के जारी किए जाने की तिथि से 15 दिन के भीतर प्राप्त किया जाता हो ।' को हटाया जाता है ।

(2) 'खर्चों पर सीमा' शीर्षक युक्त खण्ड 7क के पहले पैरा के पहले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

निम्नलिखित व्ययों को आवर्ती आधार पर योजना पर प्रभारित किया जाएगा, जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत दैनिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होंगे :

(3) आवर्ती व्ययों का प्रतिशत देने वाली सारणी के बाद आने वाले पहले परा के 2रे और 3रे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

तथापि, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार, कुल व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% की सीमा के भीतर होगा । इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, लेखा वर्ष के दौरान योजना के दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25% से अधिक नहीं होगा ।

4. 'शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटन' शीर्षक युक्त खण्ड 9 के अंतिम वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

एनएवी (पूर्ववर्ती आधार पर) प्रेस को प्रकाशन हेतु प्रति-दिन जारी किया जाएगा ।

5. 'यूनिटों का कारोबार' शीर्षक युक्त खण्ड 10 के उप-खण्ड (क) के दूसरे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

ट्रस्ट शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा प्रतिदिन करेगा और मूल्य सभी स्टाक एक्सचेंजों को भाव उद्धृत करने के उद्देश्य से सूचित करेगा ।

(6) 'बिक्री और पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड 15 के उप-खण्ड (1) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

वह मूल्य जिस पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटें बेची जाएंगी (जिसे इसके बाद "बिक्री मूल्य" कहा गया है) और वह मूल्य, जिस पर यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी (जिसे इसके बाद "पुनर्खरीद मूल्य" कहा गया है) की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी। एनएवी (पूर्ववर्ती) ही बिक्री मूल्य होगा। पुनर्खरीद मूल्य एनएवी (पूर्ववर्ती) के 5% के बट्टे पर होगा।

(7) 'विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान' शीर्षक युक्त खण्ड 29क को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

प्रत्येक वर्ष दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का 0.10% ट्रस्ट के विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा।

(8) 'कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान' शीर्षक युक्त खण्ड 29ख को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

प्रत्येक वर्ष दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का 0.10% ट्रस्ट के कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा।

अनुबंध

मास्टरशेयर प्लस यूनिट योजना–1991
(मास्टर प्लस–91) के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'यूनिटों की बिक्री' शीर्षक युक्त खण्ड VI के उप-खण्ड (2) (ii) के दूसरे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

यदि भुगतान ड्राफ्ट के जरिए किया जाता है तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की वसूली की शर्त के अधीन, शाखा या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि होगी।

परिशिष्ट

यूटीआई इक्विटी ऑपरच्यूनिटी फंड–96 (ईओएफ–96)
के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'व्यय की सीमा' शीर्षक युक्त खंड VII के अंतर्गत पहली तालिका के बाद दूसरे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

प्रारंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त निम्नलिखित व्ययों को आवर्ती आधार पर योजना पर प्रभारित किया जाएगा, जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत दैनिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 2.55 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(2) 'व्यय की सीमा' शीर्षक युक्त खंड VII के अंतर्गत दूसरी तालिका के बाद पहले अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

उपरोक्त व्यय अनुमानित है और किए गए वास्तविक व्ययों के अनुरूप परिवर्तन के अधीन हैं। तथापि, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल व्यय, प्रारम्भिक निर्गम व्ययों के लिए संग्रहीत निधि की 6 प्रतिशत सीमा के भीतर होंगे और आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत दैनिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, लेखा वर्ष के दौरान योजना के दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 1.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(3) 'यूनिटों की पुनर्खरीद' शीर्षक युक्त खंड XV के उप-खंड (1) के तीसरे अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी के 5 प्रतिशत से अनधिक बट्टे पर होगा। पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी।

(4) 'शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना और प्रकटीकरण' शीर्षक युक्त खंड XXI के पहले अनुच्छेद के अंतिम वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

एनएवी (पूर्ववर्ती आधार पर) प्रेस को प्रकाशन हेतु प्रतिदिन जारी किया जाएगा। ट्रस्ट प्रेस विज्ञप्ति के जरिए एक उपयुक्त सूचना जारी करके भावी एनएवी पर स्विचओवर करने का निर्णय भी ले सकता है।

(5) 'शुद्ध आस्ति मूल्य की गणना और प्रकटीकरण' शीर्षक युक्त खंड XXI के दूसरे अनुच्छेद को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती एनएवी के 5 प्रतिशत से अनधिक बट्टे पर होगा। पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा दैनिक आधार पर की जाएगी।

(6) 'विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान' शीर्षक युक्त खंड XXX को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

प्रत्येक वर्ष दैनिक औसत शुद्ध मूल्य का 0.10 प्रतिशत ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा।

(7) 'स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान' शीर्षक युक्त खंड XXXI को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

प्रत्येक वर्ष दैनिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10 प्रतिशत कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान के रूप में अलग रखा जाएगा।

अनुबंध

यूनिट वृद्धि योजना 2000 (यूजीएस--2000) के प्रावधानों मे संशोधन

1. 'पेशकश एव पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खड IX के उपखण्ड (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

वह मूल्य, जिस पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटो की पुनर्खरीद की जाएगी, (जिसे इसके बाद 'पुनर्खरीद मूल्य' कहा गया है) का ट्रस्ट द्वारा दैनिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

2. 'पेशकश एवं पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड IX के उपखण्ड (6) को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

(6) उपखण्ड (2) के किसी तथ्य के विपरीत न होते हुए, ट्रस्ट दैनिक आधार के अलवा अन्य आधार पर भी पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण कर सकता है और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, इसे लाग कर सकता है ।

3. 'शुद्ध अस्ति मूल्य का प्रकाशन' शीर्षक युक्त खण्ड XXIII (क) के उपखण्ड (क) के पहले वाक्य में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

योजना के शुद्ध अस्ति मूल्य की गणना मुंबई में दैनिक आधार पर उक्त सकल मूल्य में से उक्त योजना पर खर्च की गई देयताएं एवं अन्य व्यय समानुपातिक आधार पर, जो कि योजना की राय में निवेश की मान्य वसूली पर देय स्टांप शुल्क एवं अन्य व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, घटाने के बाद परिकलित किया जाएगा और इसे भारत के अग्रणी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा ।

4. 'शुद्ध अस्ति मुल्य का प्रकाशन' शीर्षक युक्त खण्ड XXIII (क) के उपखण्ड (ख) मे निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

अप्रत्याशित परिस्थितियो में, यदि किसी खास दिन या एक से अधिक दिनों के लिए मूल्याकन प्रकाशित नहीं किया जाता है, ट्रस्ट द्वारा उसके प्रावधानों का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा ।

अनुबंध

यूनिट बृद्धि योजना (यूजीएस–5000) के प्रावधानो में संशोधन

(1) 'पेशकश और पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड IX के उप–खण्ड (2) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीदे जाने वाले प्रत्येक युनिट के मूल्य (जिसे इसके आगे "पुनर्खरीद मूल्य" कहा जाएगा) का निर्धारण ट्रस्ट द्वारा दैनिक आधार पर किया जाएगा ।

(2) 'पेशकश और पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड IX के उप--खण्ड (6) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

उप–खण्ड (2) मे किसी प्रतिकूल बात के होने के बावजूद, ट्रस्ट, जैसा वह उचित समझे, उतनी अवधि हेतु दैनिक के अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण कर सकता है ।

(3) 'शुद्ध, आस्ति मूल्य का प्रकाशन का में खण्ड XXIII (ए) के उप खण्ड (क) के पहले वाक्य को निम्नुसार संशोधित किया जाता है :

योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन मुंबई में प्रतिदिन किया जाएगा तथा यह उक्त समग्र मूल्य से उक्त योजना हेतु होने वाली देयताओं और समानुपातिक आधार पर अन्य व्ययों, जो योजना के अनुसार स्टाम्प शुल्क तथा निवेश की मानी गई वसूली पर देय अन्य व्ययों हेतु पर्याप्त हों, को घटाकर किया जाएगा तथा इसे भारत मे प्रमुख, दैनिक समाचार पत्रो मे प्रकाशित किया जाएगा ।

(4) 'शुद्ध आस्ति मूल्य का प्रकाशन' में खण्ड XXIII (ए) के उप खण्ड (ख) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

अप्रत्याशित परिस्थितियों में, यदि मूल्यांकन बताए गए दिन को अथवा एक अथवा अधिक दिनों तक प्रकाशित नही किया जाता है, तो यह नही समझा जाएगा कि ट्रस्ट ने इसके किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है ।

अनुबध

यूनिट योजना–92 (यूएस--92) के प्रावधानों में संशोधन

1. 'पेशकश एव पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड IX के उपखण्ड (2) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

वह मूल्य, जिस पर ट्रस्ट द्वारा यूनिटो की पुनर्खरीद की जाएगी, (जिसे इसके बाद 'पुनर्खरीद मूल्य' कहा गया है) का ट्रस्ट द्वारा दैनिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

2 'पेशकश एवं पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खण्ड 9 उपखण्ड (6) को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

(6) उपखण्ड (2) के किसी तथ्य के विपरीत न होते हुए, ट्रस्ट दैनिक आधार के अलावा अन्य आधार पर भी पुनर्खरीद मूल्य का निर्धारण कर सकता है और ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, इसे लागू कर सकता है।

चिल्ड्रन्स कालेज एण्ड कैरियर फंड यूनिट योजना–93 और चिल्ड्रन्स कालेज एण्ड कैरियर फंड यूनिट प्लान 1993 (सीसीएफ–93)

चिल्ड्रन्स कालेज एण्ड कैरियर फंड यूनिट योजना–93 के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'बिक्री एवं पुनर्खरीद' शीर्षक युक्त खंड 3(क) के 3रे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

छात्रवृत्ति के भुगतान के उद्देश्य से पुनर्खरीद शुद्ध आस्ति मूल्य पर होगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अपरिपक्व पुनर्खरीद ट्रस्ट के विवेकानुसार एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत तक कटौती करके होगी।

(2) 'बोनस यूनिटों का संचय' शीर्षक युक्त खंड 13 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

बोनस यूनिटों का आवधिक संचय फंड के मूल्य में वृद्धि के साथ–साथ आवेदन किए जाने की तिथि/बोनस यूनिटों के पिछले आबंटन की तिथि पर निर्भर होगा। अंतिम आहरण एनएवी पर होगा।

(3) आहरण' शीर्षक युक्त खंड14 के 2रे अनुच्छेद के 1ले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद और 23 वर्ष की आयु पूरा करने से पूर्व आहरण, नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई सीमाओं के अनुरूप सदस्य के 18 वें जन्म दिन से पूर्ववर्ती 30 जून को सदस्य के खाते में बकाया यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य पर अनुमत होगा।

(4) 'अपरिपक्व/सूचीइतर आहरण' शीर्षक युक्तखंड 15 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

अपरिपक्व/सूचीइतर आहरण के मामले में आंशिक आहरण की अनुमति नहीं होगी। सदस्य के 18 वर्ष की आयु का होने से पूर्व पूर्ण आहरण केवल विशेष परिस्थितियों में (उदाहरण के लिए बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने पर) केवल ट्रस्ट के विवेकानुसार एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत तक कटौती करके अनुमत होगा। 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पूर्ण आहरण की अनुमति होगी जो अनुमत उच्चतम सीमा और 18 वर्ष की आय पूरा होने के बाद आबंटित अतिरिक्त बोनस यूनिटो से अधिक आहरण पर एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत तक कटौती करके अनुमत होगा। उदाहरण के लिए, यदि 22 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व उपरोक्त वर्णित विशेष परिस्थितियों के कारण किसी सदस्य को पूर्ण आहरण (अर्थात् उसके खाते में बकाया कुल संचित यूनिट) की अनुमति दी जाती है तो अतिरिक्त बोनस यूनिटों के 20 प्रतिशत को सदस्य के 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद जारी किए गए अतिरिक्त यूनिटों में जोड़कर उसकी पुनर्खरीद एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत तक की कटौती करके की जाएगी (चूंकि तालिका III के अनुसार वह कुल यूनिटो में से केवल 80 प्रतिशत का आहरण करने का पात्र होगा)।

(5) 'पुनर्खरीद' शीर्षक युक्त खंड 15 क को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

योजना के छात्रवृत्ति विकल्प के अतर्गत विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट के विवेक पर आहरण के अतिरिक्त किसी प्रकार के आहरण की अनुमति नहीं होगी। पुनर्खरीद, एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत की कटौती करके की जाएगी और सदस्य को राशि अदा की जाएगी।

(6) 'उस बच्चे की मृत्यु जिसके पक्ष में यूनिट जारी किए गए' शीर्षक युक्त खंड (16) के उप खंड (ङ) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

बच्चे की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के यूनिटो का हकदार बन जाने पर उसके द्वारा अपनी हकदारी का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर जिसे ट्रस्ट द्वारा पर्याप्त समझा जाए, दावेदार द्वारा दावे के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरा किए जाने के बाद दिवंगत बच्चे के खाते में बकाया यूनिटों की एनएवी के बराबर राशि अदा की जाएगी।

(7) 'उस बच्चे की मृत्यु जिसके पक्ष में यूनिट जारी किए गए हैं' शीर्षक युक्त खंड (16) के उपखंड (ज) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

सदस्य की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के यूनिटों का हकदार बन जाने पर उसके द्वारा अपनी हकदारी का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर जिसे ट्रस्ट द्वारा पर्याप्त समझा जाए, दावेदार द्वारा दावे के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरा किए जाने के बाद दिवंगत सदस्य के खाते में बकाया यूनिटों की एनएवी के बराबर राशि अदा कर दी जाएगी।

चिल्ड्रन्स कॉलेज एण्ड कैरियर फण्ड यूनिट प्लान--93 के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खंड 1(क) के 3रे वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

छात्रवृत्ति के भुगतान के उद्देश्य से पुनर्खरीद एनएवी पर होगी । हालांकि, विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट के विवेक पर अपरिपक्व पुनर्खरीद एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत की कटौती करके की जाएगी ।

(2) 'बोनस यूनिटों का सर्जन' शीर्षक युक्त खण्ड 6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है

बोनस यूनिटों का आवधिक संचय निधि के मूल्य में वृद्धि के साथ साथ आवेदन किए जाने की तिथि बोनस यूनिटों का पिछला आवंटन किए जाने की तिथि पर निर्भर होगा । अंतिम आहरण एनएवी पर होगा ।

(3) 'आहरण' शीर्षक युक्त खंड 7 के 2रे अनुच्छेद के 1 ले वाक्य को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद और 23 वर्ष की आयु पूरा करने से पूर्व आहरण, नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई सीमाओं के अनुरूप सदस्य के 18वें जन्म दिन से पूर्ववर्ती 30 जून को सदस्य के खाते में बकाया यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य पर अनुमत होगा ।

(4) 'पुनर्खरीद' शीर्षक युक्त खंड 7 क को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है.

योजना के छात्रवृत्ति विकल्प के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट के विवेक पर आहरण के अतिरिक्त किसी प्रकार के आहरण की अनुमति नहीं होगी। पुनर्खरीद, एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत की कटौती करके की जाएगी और सदस्य को राशि अदा की जाएगी।

(5) अपरिपक्व/सूचीइतर आहरण' शीर्षक युक्तखंड 8 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

अपरिपक्व/सूचीइतर आहरण के मामले में आंशिक आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य के 18 वर्ष की आयु का होने से पूर्व पूर्ण आहरण केवल विशेष परिस्थितियों में (उदाहरण के लिए बच्चे के गंभीर रूप से बीमार होने पर) केवल ट्रस्ट के विवेकानुसार एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत तक कटौती करके अनुमत किया जाएगा 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पूर्ण आहरण की अनुमति होगी जो अनुमत उच्चतम सीमा और 18 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद आबंटित अतिरिक्त बोनस यूनिटों पर एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत तक कटौती करके अनुमत होगा। उदाहरण के लिए ,यदि 22 वर्ष की पूरी होने से पूर्व उपरोक्त वर्णित विशेष परिस्थितियों के कारण किसी सदस्य को पूर्ण आहरण (अर्थात् उसके खाते में बकाया कुल संचित यूनिट) की अनुमति दी जाती है तो अतिरिक्त यूनिटों के 20 प्रतिशत को सदस्य के 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद जारी किए गए अतिरिक्त बोनस यूनिटों में जोड़कर उसकी पुनर्खरीद एनएवी में से एनएवी के 5 प्रतिशत तक की कटौती करके की जाएगी (चूंकि तालिका III के अनुसार वह कुल यूनिटों में से केवल 80 प्रतिशत का आहरण करने का पात्र होगा)।

(6) 'उस बच्चे की मृत्यु जिसके पक्ष में यूनिट जारी किए गए हैं' शीर्षक युक्तखंड (9) के उपखंड (ङ०) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है·

बच्चे की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के यूनिटों का हकदार बन जाने पर उसके द्वारा अपनी हकदारी का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर जिसे ट्रस्ट द्वारा पर्याप्त समझा जाए, दावेदार द्वारा दावे के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरा किए जाने के बाद दिवंगत बच्चे के खाते में बकाया यूनिटों को एनएवी के बराबर राशि अदा कर दी जाएगी।

(7) 'उस बच्चे की मृत्यु जिसके पक्ष में यूनिट जारी किए गए हैं' शीर्षक युक्तखंड (4) के उपखंड (ज) को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

सदस्य की मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के यूनिटों का हकदार बन जाने पर उसके द्वारा अपनी हकदारी का ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किए जाने पर जिसे ट्रस्ट द्वारा पर्याप्त समझा जाए, दावेदार द्वारा दावे के संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरा किए जाने के बाद दिवंगत सदस्य के खाते में बकाया यूनिटों की एनएवी के बराबर राशि अदा कर दी जाएगी।

यूटी/डीबीडीएम/आर–226/एसपीडी–102/99–2000

भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19(1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए यूटीआई बॉन्ड फंड, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई यूनिट योजना, जो यूटीआई बांड फंड से संबंधित है, के प्रावधानों में संशोधन, जिसे

01/05/99 के कार्यालय नोट द्वारा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

एस० चटर्जी
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

---

यूटीआई बाड फंड के प्रावधानों में संशोधन

अनुबंध

(1) 'विशेषताएं' के अंतर्गत छठे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

भारहीन फंड/फंड के प्रारम्भिक निर्गम व्यय को ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें कोई भी बिक्री प्रभार या निर्गमन भार नहीं होगा। बिक्री व पुनर्खरीद एनएवी पर होगी। तथापि, निवेश के प्रथम छ: महीनों के भीतर हुई पुनर्खरीद के लिए 1.5 प्रतिशत का आस्थगित बिक्री प्रभार लगेगा।

(2) 'यूनिटों की पुनर्खरीद' शीर्षक युक्त खंड (ix) के उप-खंड (2) (i) के दूसरे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है

तथापि निवेश की तिथि से प्रथम छः महीनों के भीतर हुई पुनर्खरीद के लिए एनएवी पर 1.5 प्रतिशत की आस्थगित बिक्री प्रभार लगेगा, जैसा कि सेबी (एमएफ) विनियम 1996 की दसवीं सूची के खंड (इ) के अंतर्गत अनुमति दी गई है। इस आस्थगित बिक्री प्रभार को ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में जमा किया जाएगा।

(3) 'बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खंड X को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

चूंकि यह भारहीन फंड है, बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य, बिना किसी भार या बट्टे के, लागू होने वाला एनएवी (भावी) होगा जिसकी गणना दैनिक आधार पर की जाएगी। तथापि निवेश की तिथि से प्रथम छः महीनों के भीतर हुई पुनर्खरीद के लिए एनएवी पर 1.5 प्रतिशत का आस्थगित बिक्री प्रभार लगेगा। किसी विशिष्ट दिन को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त होने वाले सभी बिक्री एवं पुनर्खरीद आवेदनों के संबंध में लागू होने वाला एनएवी उसी दिन का एनएवी होगा। दोपहर 2.00 बजे के बाद प्राप्त सभी बिक्री एवं पुनर्खरीद आवेदन अगले दिन के एनएवी द्वारा नियंत्रित होंगे।

अनुबंध

यूनिट लिंक्ड इन्श्योरेंस प्लान 1971 के प्रावधानों में संशोधन।

प्रावधान के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) को हटाया जाता है।

यूटी/डीबीडीएम/आर-226/एसपीडी-102/99-2000

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए यूटीआई बांड फंड, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना, जो यूटीआई बांड फंड से संबंधित है, के प्रावधानों में संशोधन, जिसे 01/05/99 के कार्यालय नोट द्वारा अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

एस० चटर्जी
उप महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

---

यूटीआई बॉण्ड फंड के प्रावधानों में संशोधन

अनुबंध

(1) 'विशेषताएं' के अंतर्गत छठे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

भारहीन फंड/फंड के प्रारम्भिक निर्गम व्यय को ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) द्वारा वहन किया जाएगा इसमें कोई भी बिक्री प्रभार या निर्गमन भार नहीं होगा। बिक्री व पुनर्खरीद एनएवी पर होगी। तथापि, निवेश के प्रथम छः महीनों के भीतर हुई पुनर्खरीद के लिए 1.5 प्रतिशत का आस्थगित बिक्री प्रभार लगेगा।

(2) 'यूनिटों की पुनर्खरीद' शीर्षक युक्त खंड (ix) के उप-खंड (2) (i) के दूसरे अनुच्छेद को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

तथापि निवेश की तिथि से प्रथम छः महीनों के भीतर हुई पुनर्खरीद के लिए एनएवी पर 1.5 प्रतिशत की आस्थगित बिक्री प्रभार लगेगा, जैसा कि सेबी (एमएफ) विनियम 1996 की दसवीं सूची के खंड (इ) के अंतर्गत अनुमति दी गई है। इस आस्थगित बिक्री प्रभार को ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में जमा किया जाएगा।

(3) 'बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य' शीर्षक युक्त खंड X को इस प्रकार संशोधित किया जाता है :

चूंकि यह भारहीन फंड है, बिक्री एवं पुनर्खरीद मूल्य, बिना किसी भार या बट्टे के, लागू होने वाला एनएवी (भावी) होगा जिसकी गणना दैनिक आधार पर की जाएगी। तथापि निवेश की तिथि से प्रथम छः महीनों के भीतर हुई पुनर्खरीद के लिए एनएवी पर 1.5 प्रतिशत का आस्थगित बिक्री प्रभार लगेगा। किसी विशिष्ट दिन को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त होने वाले सभी बिक्री एवं पुनर्खरीद आवेदनों के संबंध में लागू होने वाला एनएवी उसी दिन का एनएवी होगा। दोपहर 2.00 बजे के बाद प्राप्त सभी बिक्री एवं पुनर्खरीद आवेदन अगले दिन के एनएवी द्वारा नियंत्रित होंगे।

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

CENTRAL OFFICE

CENTRE I, WORLD TRADE CENTRE

CUFFE PARADE, COLABA

Mumbai-400 005, the 15th November 1999

No. DNBS. 133/CGM (OPA)-99.—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K, 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DFC. 118/DG (SPT)/98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely —

In paragraph 2, in sub-paragraph (1), in clause (xii), after sub-clause (g), the following sub-clause shall be added, namely :—

"(h) any amount received from a Mutual Fund which is governed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996".

O. P. AGARWAL
Chief General Manager

---

Mumbai-400005, the 13th January 2000

No. DNBS. 134/CGM (VSNM)-2000.—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposit (Reserve Bank) Direction, 1998, in exercise of the powers conferred by sections 45J, 45K, 45L and 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DFC. 118/DG (SPT)/98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect, as follows, namely.—

1. In paragraph 2, in sub-paragraph (1), after clause (ix) the following clause (ix-a), shall be inserted, namely :—

"(ixa) "mutual benefit company" means a company not notified under section 620A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and carrying on the business of a non-banking financial institution.—

(a) on 9th January 1997; and

(b) having the aggregate of net owned funds and preferential share capital of not less than ten lakhs of rupees; and

(c) has applied for issue of certificate of registration to the bank on or before 9th July 1997; and

(d) is complying with the requirements contained in the relevant provisions of the Directions issued under Section 637A of the Companies Act, 1956 to Nidhi Companies by the Central Government".

2. In paragraph 2, in sub-paragraph (1), in clause (xii), after proviso to sub-clause (e) the following further proviso shall be inserted namely.—

"provided further, that in the case of joint shareholders of a private company, monies received from or in the name of the joint shareholders except the first named shareholder shall not be eligible to be treated as the receipt of money from the shareholder of the company".

3. In paragraph 2 in sub-paragraph (1), after clause (xii) after clause (g), the following new sub-clause shall be inserted namely —

(h) "any amount received as hybrid debt or subordinated debt the minimum maturity period of which is not less than sixty months"

4. In paragraph 3, in sub-paragraph (1), after the words, "mutual benefit financial company" the following words shall be inserted namely,—

"or mutual benefit company"

5. In paragraph 3, in sub-paragraph (2) at the end, the following words shall be inserted, namely :—

"and a mutual benefit company"

6. In paragraph 4, in sub-paragraph (1), after clause (i), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that this clause shall not apply to an Equipment Leasing or Hire Purchase Finance Company referred to in clause (a) of sub paragraph (4) hereunder".

7. In paragraph 4, in sub-paragraph (12), in clause (ii), the following new sub-clause shall be inserted, namely :—

(g) "the information, relating to and the aggregate dues from the facilities, both fund and non-fund based, extended to, and the aggregate dues from companies in the same group or other entities or business ventures in which the directors and/or the non-banking financial company are holding substantial interest and the total amount of exposure to such entities".

8. In paragraph 4, in Sub-paragraph (12), after clause (ii), the following new clause shall be inserted, namely :—

(iii)"Every non-banking financial company shall obtain proper introduction of the new depositors before opening their accounts and accepting the peposits and keep on its record the evidence on which it has relied upon for the purpose of such introduction".

9. After paragraph 4 the following new paragraphs shall be inserted, namely :—

"4A Branches and appointment of agents to collect deposits

On and from January 13, 2000, no non-banking financial company shall open its branch or appoint agents to collect deposits except as provided hereunder :—

(i) a non-banking financial company having the certificate of registration issued under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and otherwise entitled to accept public depostis as per paragraph 4(4) of these Directions may open its branch or appoint agents if its,

(a) NOF is upto Rs. 50 crore—Within the State where its registered office is situated; and

(b) NOF is more than Rs. 50 crore and its credit rating is AA or above—Anywhere in India

(ii) (a) for the purpose of opening a branch, a non-banking financial company shall notify to the Reserve Bank of its intention to open the proposed branch;

(b) on receipt of such advice, the Reserve Bank may, on being satisfied that in the public interest or in the interest of the concerned non-banking financial company or for any other relevant reasons to be recorded, reject the proposal and communicate the same to the non-banking financial company;

(c) if no advice or rejection of the proposal under (b) above is communicated by the Reserve Bank within 30 days from the receipt of such advice, the non-banking financial company may proceed with its proposal.

4B Closure of branches

No non-banking financial company shall close its branch/office without publishing such intention in any one national level newspaper and in one vernacular newspaper in circulation in the relevant place and without advising Reserve Bank of India, before ninety days of the proposed closure".

10. After paragraph 9, the following new paragraph shall be inserted namely.—

"9A Nothing contained in paragraphs 4 to 7 shall apply to an NBFC being a Government company as defined under section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)".

V. S. N. MURTY, Chief General Manager-in-charge

---

DNBS. 135 CGM (VSNM)-2000.—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest, and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Non-Banking Financial Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 1998, in exercise of the powers conferred by section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, hereby directs that the said directions contained in Notification No. DFC. 119/DG (SPT)/98 dated January 31, 1998 shall stand amended with immediate effect as follows, namely—

1. In paragraph 1(3)(i), in sub-clause (a), after the words, mutual benefit financial company.', the following words shall be inserted, namely,—

"and a mutual benefit company"

2. In paragraph 1, in sub-paragraph (3), a new clause shall be inserted as follows, namely,—

"(iv) These directions shall not apply to an NBFC being a Government company as defined under Section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)."

3. In paragraph 11B, after second proviso, the following Explanation shall be inserted namely :—

Explanation :

"While calculating the ceiling on investment in unquoted shares, investments in such shares of all companies shall be aggregated.".

4. After paragraph 9, the following new paragraphs shall be inserted, namely,—

"9A Constitution of Audit Committee by NBFCs

An NBFC having the assets of Rs. 50 crore and above as per its last audited balance sheet shall constitute an Audit Committee, consisting of not less than three members of its Board of Directors

9B Accounting year

Every NBFC shall prepare its balance sheet and profit and loss account as on March 31 every year with effect from its accounting year ending with 31st March, 2001 :

Provided that if the accounting year of any NBFC ends on any date other than 31st March, 2001 such NBFC shall prepare its balance sheet and profit and loss account for any fraction of the year ending on 31st March 2001".

Information on Suit-filed/Decreed Debts

5. In the format annexed to the Directions (Reporting Format), after Part I, the following Part-J shall be inserted namely,

PART J

Particulats on Suit-filed and decreed debts by the NBFC and against it

| | Item Name | Item Code | Amount |
|---|---|---|---|
| (i) | Loans, advances, other credit facilities, leased assets and hite purchase assets for which the NBFC have filed suits in any Court of law for recovery of its dues including the decreed debts | 810 | |
| | Pending for over 5 Years | 811 | |
| | Pending for 3 o 5 Years | 812 | |
| | Pending for 1 to 3 Years | 813 | |
| | Pending for less than One Year | 814 | |
| (ii) | Out of (i) above, the loans, advances, other credit facilities and hire purchase assets for which decree has been obtained by the NBFC | 820 | |
| (iii) | Recoveries made in suit filed/decreed debts (including amounts deposited in the Court). | 830 | |
| (iv) | Suit filed and decreed against the company | 840 | |

V. S. N. MURTY
Chief General Manager-in-charge

---

No. DNBS.136/CGM(VSNM)-2000.—The Reserve Bank of India, having considered it necessary in the public interest and being satisfied that, for the purpose of enabling the Bank to regulate the credit system to the advantage of the country, it is necessary to amend the Residuary Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions, 1987, hereby, in exercise of the powers conferred by Section 45J, 45K, 45L and 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the said Directions contained in Notification No. DFC.55/DG(O)-87 dated the 15th May 1987 shall, with immediate effect, be amended as follows, namely :-

After paragraph 4A, the following new paragraphs shall be inserted, namely,-

"Branches and appointment of agents to collect deposits

4B On and from January 13, 2000, no residuary non-banking company shall open its branch/office or appoint agents to collect deposits except as provided hereunder :

(i) a residuary non-banking company having the certificate of registration issued under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) may open its branch or appoint agents if its

(a) NOF is upto Rs. 50 crore—Within the State where its registered office is situated; and if

(b) NOF is more than Rs. 50 crore—Anywhere in India

(ii) (a) for the purpose of opening a branch/office, a residuary non-banking company shall notify to the Reserve Bank of its intention to open the proposed branch;

(b) on receipt of such advice, the Reserve Bank may, on being satisfied that in the public interst or in the interest of the concerned residuary non-banking company or for any other relevant reasons to be recorded, reject the proposal and communicate the same to the residuary non-banking company;

(c) if no advice of rejection of the proposal under (b) above is communicated by the Reserve Bank within 30 days from the receipt of such advice, the residuary non-banking company may proceed with its proposal

Closure of branches

4C No residuary non-banking company shall close its branch/office without publishing such intention in any one national level newspaper and in one vernacular newspaper in circulation in the relevant place, before ninety days of the proposed closure and without advising the Reserve Bank at least ninety days before the proposed closure."

V. S. N. MURTY
Chief General Manager-In-Charge

---

**No. DNBS.137/CGM(VSNM)-2000.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 45MA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs that the directions contained in Notification No. DFC.117/DG(SPT)/98 dated January 2, 1998 stand amended with immediate effect, as follows, namely—**

In paragraph 3, sub-paragraph (B), after item (viii), the following new item shall be inserted, namely, -

"(ix) In case of opening of new branches or offices to collect deposits or closure thereof and in the case of appointment of agent, whether the company has complied with the requirements contained in the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 contained in Notification No. DFC. 118/DG (SPT)-98 dated January 31, 1998."

V. S. N. MURTY
Chief General Manager-In-Charge

**No. DNBS.138/CGM(VSNM)-2000.—The Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary so to do, in exercise of its powers conferred under Section 45NC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) hereby declares that the provisions of -**

(1) Sections 45IA, 45IB and 45IC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) shall not apply to any non-banking financial company -

(i) which is

(a) providing credit not exceeding Rs 50,000 for a business enterprise and Rs. 1,25,000 for meeting the cost of a dwelling unit to any poor person for enabling him to raise his level of income and standard of living; and

(b) licensed under Section 25 of the Companies Act, 1956; and

(c) not accepting public deposits as defined in paragraph 2(1)(xii) of Notification No. 118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998.

(ii) being a mutual benefit company as defined in paragraph 2(1) (ixa) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998 contained in Notification No. DFC.118/DG(SPT)-98 dated January 31, 1998.

(2) Sections 45IB and 45IC of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), shall not apply to any non-banking financial company as defined in section 45-I(f) of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) being a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956.

V. S. N. MURTY
Chief General Manager-In-Charge

---

No. DNBS. 139/CGM (VSNM)-2000.—In exercise of powers conferred under section 45NC read with sub-section (1) of section 45-IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2of 1934) and in partial modification of Notification No. 121/ED(G)-98 dated January 31, 1998, the Reserve Bank of India, on being satisfied that it is necessary so to do, hereby directs that the said directions shall stand amended with immediate effect as follows, namely,—

In paragraph 1, the items (i) and (ii) shall be substituted by the following, namely.—

(i) on and from 1st April 1998—be not less than 12.5 percent;

(ii) on and from 1st April 1999—be not less than 15 percent; and

(iii) on and from January 1, 2000—be not less than ten percent in approved securities and the remaining in unencumbered term deposits in any scheduled commercial bank, the aggregate of which shall not be less than 15 percent

of the "public deposit", as defined under paragraph 2(1) (xii) of the Non-Banking Financial Companies Acceptance of Public Deposits (Reserve Bank) Directions, 1998, outstanding at the close of business on the last working day of second preceding quarter; and"

V. S. N. MURTY
Chief General Manager-in-Charge

No. DNBS. 140/CGM (VSNM)-2000:—In exercise of powers conferred under sub-section (2) of Section 45-IB of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of Notification No. DFC. 108/ED(JRP)-97 dated April 30, 1997 the Resesve Bank of India, on being satisfied that it is neeessary so to do, hereby directs that the said directions shall stand amended with immediate effect as follows, namely, —

1. In Form of Quarterly Return I, after item 9, the following item 10, shall be inserted, namely, —

"10. The information on opening and closing of branches/offices for collection of deposits is as under :

(a) Opening of new branches / offices

| Name and address of the branches/offices | Date of opening | Reference No. and date of communication to RBI | Remarks |
|---|---|---|---|
| | | | |

(b) Closing of branches / offices

| Name and address of the branches/ offices | Date of Publicity | Date of closing | Reference No. and date of communication to RBI | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

2. In Form of Quarterly Return-II, item 6 and 7 shall be substituted by the following, namely, —

"6. Prescribed amount of liquid assets required to be maintained at———— percent of deposit at item 5(c) above. 120

(Details of approved securities with their market value and the term deposits made in scheduled commercial banks as on the date of return to be given in a separate annexure).

7. Whether the company has maintained the required assets in unencumbered approved securities and term deposits in scheduled commercial banks on a daily basis during the quarter (See note 1 below)".

3. In Form of Quarterly Return-II, after item 10, the following item 11, shall be inserted, namely, —

"11. The information on opening and closing of branches/offices for collection of deposits is as under ;

(a) Opening of new branches / offices

| Name and address of the branches/offices | Date of opening | Reference No. and date of communication to RBI | Remarks |
|---|---|---|---|
| | | | |

(b) Closing of branches / offices

| Name and address of the branches/ offices | Date of Publicity | Date of closing | Reference No. and date of communication to RBI | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

V. S. N. MURTY
Chief General Manager-in-charge

## RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Administration and Personnel Management)
Central Office

Mumbai-400 001, the 11th September, 1998

Corrigendum/Amendments to Notification No. 1

### CORRIGENDUM

(1) Name of the Bank, Department and the Number of the Notification to be read as under

RESERVE BANK OF INDIA
Department of Administration and Personnel Management
Central Office, Mumbai 400 001.
Notification No. 1 the 11th September, 1998

in place of the words

"DEPARTMENT OF ADMINISTRATION AND PERSONNEL MANAGEMENT
Mumbai 400 001, the 11th September 1998"

(2) The words in the Hindi Version on page 464 (Item No. 1 – Line—6) printed as 'विदशी मुद्रा नियंत्रण परिचालन और विकास वैकिग विकास विभाग' to be corrected to read as 'विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, वैकिग परिचालन और विकास विभाग".

### AMENDMENTS

The designation of Regional Heads has been changed to 'Regional Director' and incorporating the same in the Signing Powers Notification No. 1 dated 11th September 1998 has been approved by the Committee of the Central Board of the Bank. The consequential amendments made to the Notification are indicated below.

| Item No. | Para/Sub-para No. | Line No. | Amendments made |
|---|---|---|---|
| I | 4 | 1 | Replaced word "Regional Director" for Chief General Manager |
| V | (i) | 1 | Added word "Regional Director" after Chief General Manager |
| V | (i) | 6 | Replaced word "Regional Directors" for Chief General Managers |
| V | (iii) | 13 | Replaced word "Regional Directors" for Chief General Managers |
| V | (viii) | 5 | Replaced word "Regional Directors" for Chief General Managers |
| V | (x) | 5 | Replaced word "Regional Directors" for Chief General Managers |
| V | (xiii) | 4 | Replaced word "Regional Directors" for Chief General Managers |
| V | (xv) | 4-5 | Replaced word "Regional Directors" for Chief General Managers |

M. G. VISWESWARAN,
Assistant General Manager

## SALAR JUNG MUSEUM BOARD

Hyderabad, the 03rd February, 1999

No .....: In exercise of the powers conferred by section 28 of the Salar Jung Museum Act, 1961 (26 of 1961), the Salar Jung Museum Board, Hyderabad, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulation further to amend the Salar Jung Museum Regulations, 1962, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Salar Jung Museum (Amendment) Regulations, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. (a) In the Salar Jung Museum Regulations, 1962, in regulation 8, in sub-regulation (1 A), for clause (b), the following clause shall be substituted namely:—

(b) "in case of class III or class IV post, the vacancy shall be notified to the Employment exchange advertised in newspapers (including Employment News Bulletin), displayed on notice board and announced on radio and television".

Sd-illegible
Chairman

Salar Jung Museum Board
Salar Jung Museum
Hyderabad

Explanatory. The principal regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India vide notification Number 29 dated 16th July 1966 and subsequently amended vide

1. Notification number.....dated the.....
2. .....
3. .....
4. .....

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 21st January, 2000

No. V-33 (13) 2/95-E. IV : In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation-10 of the ESI (General) Regulations, 1950 the Chairman, ESI, Corporation hereby constitutes the Regional Board for Assam Region which shall consist of the following members namely :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Minister<br>Labour & Employment Deptt.<br>Govt. of Assam. | Chairman |
| 2. | Minister of State<br>Health & Family Welfare Deptt.<br>Govt. of Assam. | Vice-Chairman |
| 3. | Administrative Medical and Health Officer, ESI Scheme<br>Assam | Officer directly incharge of ESIS in the State, Ex-officio Member |
| 4. | The Deputy Medical Commissioner<br>ESI Corporation, East Zone,<br>Calcutta. | Member Ex-officio |
| 5. | Shri J. M. Goswami,<br>Secretary,<br>Assam Manufacturers' Association,<br>By Lane No. 5, Industrial Estate Bamunimaidan,<br>Guwahati-21. | Employers' Representative |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Shri A. C. Das,<br>Secretary,<br>Assam Plywood Manufacturers,<br>P.O. Tinsukia,<br>Assam-786125. | Employers' Addl. Representative |
| 7. | Shri B. P. Bakshi,<br>All India Manufacturers' Organisation,<br>Assam State Road, P.O. Tinsukia-786125,<br>Assam. | Employers' Addl. Representative |
| 8. | Shri S. K. Srivastava<br>Assam Cotton Mills,<br>P.O. Chariduar (Sonitpur),<br>Assam-784103. | —do— |
| 9. | Shri Sumer Singh Gaur,<br>Secretary,<br>INTUC Assam Branch,<br>K. C. Sen Road, Paltan Bazar,<br>Guwahati-8. | Employees' Representative |
| 10. | Shri D. P. Yadab,<br>General Secretary,<br>B. M. S Banipara, Silchar-1,<br>Assam. | Employees' Addl. Representative |
| 11. | Shri Amol Ghosh Dastidar,<br>President, CITU,<br>Assam State Committee,<br>Ananda Ram Baruah Path, Paltan<br>Guwahati-8. | —do— |
| 12. | Shri Nasir Uddin,<br>Secretary,<br>INTUC Dhubri Branch,<br>Assam-783301. | —do— |
| 13. | The Commissioner & Secretary to the Govt. of Assam,<br>Labour & Employment Deptt., Dispur,<br>Assam. | Member, ESIC residing in the State, Ex-officio Member |
| 14. | The Regional Director, ESI Corporation,<br>Guwahati, Assam. | Member Secretary |

L. M. MEHTA
Director General

---

New Delhi, the 17th January 2000

No. N-15/13/1/11/98-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General )Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st February, 2000 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"All the areas falling within the limits of Ongole Municipality and the Revenue Villages of Koppollu, Pelluru, Cheruvukomanupalem, Vengemukkapalem, Mamdipalem, Throvagunta, Mukhinuthalapadu, Gudimallapadu and Yeracherla in Ongole Mandal; the Revenue Villages of Pernimitta, Yendlur and Manganoor in Santhanuthalapadu Mandal of Prakasam District of Andhra Pradesh."

G. L. KAPOOR
Director (P&D)

---

New Delhi, the 14th January 2000

No. U-16/53/PTMR/Karnt./99-Med.II.—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 25-5-1983, I hereby authorise the following doctor to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the date given below for

one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Bangalore for the purpose medical examination of the insured persons and grant of certificates is in doubt.

Sl. No., Name of Doctor, Period & Name of Centre

1. Dr. M. Vijay, 22-2-2000 to 21-2-2001—Mysore.

DR. (Mrs.) S. SINGH
Medical Commissioner

---

No. N-15/13/10/2/98-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 the Director General has fixed the 1st February, 2000 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

"The areas comprising the revenue villages Manguli, Kairapari, Bondal, Bainchua, Kotsahi, Ganraba in Tehsil Tangi, Choudwar of District Cuttack"

G. L. KAPOOR
Director (P&D)

---

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

14, BHIKAJI CAMA PLACE

New Delhi-110066, the 12th January 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp. 82/Pt. I/5302.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

| S. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended | Date of Expiry | Period for Exemptione | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s A.P. State Co-op. Bann Ltd. H.O. Troop Bazar P.B. No. 142 Hyderabad-500001. | AP/2340 | 2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 21-10-96 | 30-11-96 | 1-12-96 to 30-11-99 | 2/3767/91/DLI |
| 2. | M/s Bapatta Engineering College, Bapatla-522101. | AP/16525 | dated 10-1-94 | 31-8-95 | 1-9-95 to 31-8-98 & 1-9-98 to 31-8-2001 | 2/4333/92/DLI |
| 3. | M/s Spectra Foods & Beverages Private Ltd., Tadigadapa, Vijayawada-52. | AP/GT 13987 | dated 8-1-93 | 31-12-94 | 1-1-95 to 31-12-97 & 1-1-98 to 31-12-2000 | 2/3202/90/DLI |
| 4. | M/s. A.A.N.M.& V.V.R.S.R. Politechnic, Gudiavalleru, Krishna Distt.521356. | AP/GT 16537 | dated 29-1-93 | 28-2-94 | 1-3-94 to 28-2-97 & 1-3-97 to 28-2-2000 | 2/4392/92/DLI |
| 5. | M/s Sri Sathya Sai Institute of Higher Larning Prasanthinilayam Anantapur Distt.-515134. | AP/20080 | dated 29-8-97 | 31-3-96 | 1-4-96 to 31-3-99 & 1-4-99 to 31-3-2002 | 2/4534/92/DLI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | M/s Bai Ratanbai [illegible] Parsi High School 119, Park Lane Secundrabad, | AP 9271 | dated 22-12-92 | 31-8-92 | 1-9-92 to 31-8-95 & 1-9-95 to 31-8-98 & 1-9-98 to 31-8-2001 | 2/4282/92 DLI |
| 7. | M/s. Sibar Auto Parts Ltd., Industrial Estate, Ranigunta Road, Tirupati-517506. | AP/18114 | dated 10-11-96 | 31-3-99 | 1-4-99 to 31-3-2002 | 1/12/98/DLI |
| 8. | M/s Kanaka Durga Grameen Bank 9/225, Gori Sankara Puram, Gudivada-521301. | AP/16704 | dated 3-5-93 | 31-3-95 | 1-4-95 to 31-3-98 & 1-4-98 to 31-3-2001 | 2/3205/90/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees', his approval, give a reasonable apportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2, 1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5321.—WHEREAS the the Employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS The Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, The Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by The Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu from the operation of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE —I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Shakes and Creams, 10 Sardar Patel Road, Adyar, Chennai-600 020. | TN/9643-A | 1-11-98 to 31-10-2001 | 14(657)99/DLI |
| 2. | M/s. Karpagam Industries (P) Ltd., Sidco Industrial Estate, Coimbatore-21. | TN/21260 | 1-12-1-98 to 30-11-2001 | 14(658)99/DLI |
| 3. | M/s. Popular Leathers Pvt. Ltd., 51C Sidco Industrial Complex, Ranipet. | TN/23686 | 1-8-96 to 31-7-99 | 14 659)99/DLI |
| 4. | M/s. Kaushik Chemicals Ltd., Plot No. 6A Sidco Industrial Complex Ranipet-632403. | TN/26465 | 1--2-90 to 31-1-99 | 14(650)99/DLI |
| 5. | M/s. Lalyani Construction Pvt. Ltd., No. 9 Bazullah Road, T. Nagar, Chennai-600017. | TN/26841 | 1-1-99 to 31-12-2001 | 14(661)99/DLI |
| 6. | M/s. Software Solution Integrated Ltd., No.54 Thirumalai Road, T. Nagar, Chennai-600017. | TN/31265 | 1-11-98 to 31-10-2001 | 14(662)99/DLI |
| 7. | M/s. Internation Bakery Products Ltd., Adjoining Aurofood Complex Post T.C. Balam-605111. | TN/32771 | 26-9-97 to 25-9-2000 | 14(663)99/DL |
| 8. | M/s Balaji Industrial Corp. Ltd., No. 9 Bazullan Road, Chennai-600017. | TN/39233 | 1-1-99 to 31-12-2001 | 14(464)99/DLI |
| 9. | M/s. Indus Flower 19, 4th Main Road, Kastouriba Nagar, Adiyar, Chennai-600020. | TN/39993 | 1-12-98 to 30-11-2001 | 14(665)99/DLI |
| 10. | M/s. Harita In & Serve Ltd., No. 8, Haddors Road, Chennai-600006. | TN/40155 | 1-11-98 to 31-10-2001 | 14(666)99/DLI |
| 11. | M/s. Jai Parabhakar Spnings Ltd., Plot No. 22—25, Sengundrum, Vill. Marimalai Nagar, Singapermual Koil, Street-603204. | TN/40168 | 1-7-98 to 30-6-2001 | 14(667)99/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the maiority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/Legal heir (s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. There for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5336.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said estabilshment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated is attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

| S. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended. | Date of Expiry | Period for Exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s. Indian Oil Corporation Ltd. 7, Institutional Area, Scope Complex Case-2, Lodhi Road, New Delhi-3. | DL/1338 | 2/1959/DLI/Ex./89/Pt.I/716 dated 13-5-99 | 22-5-99 | 23-5-99 to 22-5-2002 | 2/131/80/DLI |
| 2. | M/s. Ranbaxy Laboratories 25, Nehru Place, New Dehi-19. | DL/1546 | dated 5-7-99 | 28-2-99 | 1-3-99 to 28-2-2002 | 2/722/82/DLI |
| 3. | M/s. Engineerng Project (I) Ltd., Core-3, Scope Complex 7, Institutional Area, Lodh Road, New Delhi-110003. | DL/2921 | S. 35014/218/83-II SS. II dated 23-2-87 | 23-12-89 | 24-12-89<br>23-12-92<br>24-12-92<br>23-12-95<br>24-12-95<br>23-12-98 | 2/116/78/DLI |
| 4. | M/s. Continental Device India Ltd. C-120, Naraina Industrial Area, New Delhi-28. | DL/3141 | 2/1959/DLI/Ex/89/Pt. I/1431 dated 19-6-99 | 30-6-97 | 1-7-97 to 30-6-2000 | 3/76/99/DLI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2/1959/DLI/Ex./89/PT.I/1431 | | | |
| 5. | M/s. Basu and Associates Pvt. Ltd. Pocket-B-2, J-Block Market, Saket, New Delhi-17. | DL/6609 | dated 12-4-99 | 28-2-99 | 1-3-99 to 28-2-2002 | 3/25/98/DLI |
| 6. | M/s Salora Internation Ltd., D/1314, Okhla, Industiral Area, Phase-I New Delhi-25. | DL/6935 | dated 28-4-97 | 31-7-95 | 1-8-65 31-7-98 | 2/1568/88/DLI |
| 7. | M/s Gabriel India Ltd., 1, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016. | DL/7433 | 2/1959/DLI/Ex./89/Pt. II/36246 dated 24-1-99 | 31-7-99 | 1-8-99 to 31-7-2002 | 3/17/98/DLI |
| 8. | M/s Sowar Pvt. Ltd., CSC, C-9, Vasant Kunj New Delhi-110070. | DL/7736 | 2/1959/DLI/Ex./89/Pt. I/2446 dated 3-11-98 | 31-5-99 | 1-6-99 to 31-5-2002 | 2/1683/87/DLI |
| 9. | M/s Kosha Dynamics Pvt. Ltd., Shed No. II, Okhla Indl. Estate, Phase-IV, New Delni-20. | DL/9014 | 2/1959/DLI/Ex./89/Pt./I/1883 dated 21-6-99 | 30-11-98 | 1-12-98 to 30-11-2001 | 3/26/98/DLI |
| 10. | M/s Mohan Fiids Ltd., 78/3, Janpath, 2nd Floor, New Delhi-110001. | DL/14950 | dated 9-4-99 | 31-12-98 | 1-1-99 to 31-12-2001 | 3/10/96/DLI |
| 11. | M/s Spon Fashions Ltd., 149, Okhla Indl. Estate, New Delhi-110020. | DL/15825 | dated 9-10-98 | 31-5-98 | 1-6-98 to 31-5-2001 | 3/11/98/DLI |

## SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishments, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp. 89/Pt. I/5352.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in schedule I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

## SCHEDULE—I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. T & I Ltd., 19, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700001. | WB/14855 | 1-3-98 to 28-2-2001 | 16/85 /DLI/WB/99 |
| 2. | M/s. Hote Himalay, 134/1, M. G. Road, Calcutta-700007. | WB/27852 | 1-11-97 to 31-10-2000 | 16/86 /DLI/WB/99 |

## SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5358.—WHEREAS the Employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended | Date of Expiry | Period for Exemption | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s Institute of Naturopothy and Yogic Science Jindal Nagar, Bangalore-560073. | KN/7381 | 2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 9-5-94 | 31-3-93 | 1-4-93 to 31-3-96 & 1-4-96 to 31-3-99 & 1-4-99 to 31-3-2002 | 2/2479/89/EDLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts & provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 066, the 13th January 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5363.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended | Date of Expiry | Period for Exemption | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s Coimbatore Dist. Co. op. Milk Producers Union, Kalampalayam, Coimbatore-10. | TN/2614A | 2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 10-5-94 | 31-3-93 | 1-4-93 to 31-3-96 1-4-96 to 31-3-99 | 2/864/DLI/82 |
| 2. | M/s Srivilliputtur Co. op. Spinning Mills Ltd., Madurai Road, Srivilliputtur-626125. | TN/3115 | dated 23-1-92 | 31-7-94 | 1-8-94 to 31-7-97 1-8-97 to 31-7-2000 | 2/2462/90/DLI |
| 3. | M/s The Thanjavar Consumers Co. op. Wholesale Stores Ltd., 2964/1, South Rampart Thanjavur-613001. | TN/3411 | dated 16-2-99 | 28-2-99 | 1-3-99 to 28-2-2002 | 14/226/DLI/97 |
| 4. | M/s Jaya & Company 30 P.N.R. Layout, Coimbatore-18. | TN/3543 | dated 1-9-92 | 31-3-94 | 1-4-94 to 31-3-97 1-4-97 to 31-3-2000 | 2/4043/DLI/92 |
| 5. | M/s Leoyd Insultations (India) Ltd.. 5, Haddows Lane, off Haddows Road, Nangambakkam, Chennai-600006. | TN/4711 | dated 15-12-97 | 29-2-96 | 1-3-96 to 28-2-99 | 14/191/DLI/96 |
| 6. | M/s Kallakurichi Co. op. Sugar Mills Ltd., Moongiltharaipatta-605792, Sankarapuram T.K. Villupuram District. | TN/6139 | dated 19-3-99 | 27-1-99 | 28-1-99 to 27-1-2002 | 2/969/DLI/83 |
| 7. | M/s MIL Industries Ltd., 25-A, Industrial Estate, Amattur Chennai-600098. | TN/6993 | dated 26-8-98 | 30-7-97 | 31-7-97 to 30-7-2000 | 14/184/DLI/96 |
| 8. | M/s Sooramangalam Milk Producers Co. op. Society, Z-348, Sooramangiam (P.O.) Kachanam-610201, Vedaranyam (TK) Nagapattinam (Distt.). | TN/7858 | dated 19-3-99 | 30-11-98 | 1-12-98 to 30-11-2001 | 2/4915/93/DLI |
| 9. | M/s Express Publications (Madurai) Ltd., 137, Express Garden, Kamraj Road, Madurai-9. | TN/8486 | dated | 28-2-93 | 1-3-93 to 29-2-96 1-3-96 to 28-2-99 | 2/1314/85/DLI |
| 10. | M/s T. 1431, Madukkur Milk Producers Co. op. Society, Madukkur-614903, Thanjavur (Distt.). | TN/8999 | dated 1-4-99 | 28-2-99 | 1-3-99 to 28-2-2002 | 14/464/98/DLI |
| 11. | M/s Transcore, Factory Type 11/4, VSI Estate, Thiruvanmayur, Chennai-600041. | TN/10173 | dated 18-9-97 | 31-8-95 | 1-9-95 to 31-8-98 1-4-98 to 31-8-2001 | 2/5079/93/DLI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | M/s. CRP India Pvt. Ltd., 4/129, Mount Poonamallee Road, Chennai-600089 | TN/11922 | dated 1-11-95 | 31-3-96 | 1-4-96 to 31-3-99 1-4-99 to 31-3-2002 | 2/5367/93/DLI |
| 13. | M/s Sri Jagannath Textiles Ltd., 1493, Satayamanglam Road, Ganapathi (P.O.) Coimbatore-641006 | TN/12420 | dated 12-3-99 | 31-3-99 | 1-4-99 to 31-3-2002 | 14/53/95/DLI |
| 14. | M/s Designs and Prototypes L-24 Dr. VSI Estate Thiruvanmiyur, Chennai-600041 | TN/16023 | datrd 18-1-96 | 31-3-96 | 1-4-96 to 31-3-99 1-4-99 to 31-3-2002 | 2/1898/86/DLI |
| 15. | M/s Milgerland Applicators Pvt. Ltd., 25-A, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600098 | TN/19917 | dated 26-8-98 | 31-8-98 | 1-9-98 to 31-8-2001 | 2/4815/93/DLI |
| 16. | M/s Veeson Energy System Pvt. Ltd., C-14/2, Industrial Estate Thuvakudi, Trichy-620010. alongwith its branches. | TN/19918 | dated 19-3-99 | 28-2-98 | 1-3-98 to 28-2-2001 | 2/3614/91/DLI |
| 17. | M/s Kamal a Solvent I, Karnur Road, Dindigul-4 (T.N.) | TN/20053 | dated 19-8-98 | 30-4-98 | 1-5-98 to 30-4-2001 | 2/1849/88/DLI |
| 18. | M/s Kathirvel Textiles (P) Ltd., Nachiapuram-630207 notification issue w.e.f. 1-3-93 to 29-2-96 | TN/20113 | | 29-2-96 | 1-3-96 to 28-2-99 1-3-99 to 28-2-2002 | 2/3292/90/DLI |
| 19. | M/s R.M. Trading Co., 156, Thambuchetty, Chennai-600451 | TN/22300 | dated 19-1-94 | 28-2-93 | 1-3-93 to 29-2-96 | 2/2737/90/DLI |
| 20. | M/s Sieftex Robatics Co., Plot No. 54, Industrial Estate Ambattur Chennai-600058 alongwith its branches. | TN/22820 | dated 2-12-96 | 31-10-97 | 1-11-97 to 31-10-2000 | 2/5290/93/DLI |
| 21. | M/s Bevingtons India 55, Rajamuthjanh Road, Periamet, Chennai-600003 | TN/31243 | dated 11-3-99 | 30-6-98 | 1-7-98 to 30-6-2001 | 14/494/90/DLI |
| 22. | M/s M.V. Mathvah Pillabr Mariammal Matriculation Sec. School Dingligul. | TN/20802 | | 31-3-93 | 1-4-93 to 31-3-96 1-4-96 to 31-3-99 | 2/3001/93/DLI |

## SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government, may from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme ot the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduce in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5389.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, A. P. from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

## SCHEDULE—I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Bhakara Agro Chemicals Ltd., 6-3-1109/1, 3rd Floor, Raj Bha wan Road, Hyderabad-500482. | AP/20019 | 1-3-93 to 29-2-96 & 1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 28-2-2002 | 1/106/99/EDLI |
| 2. | M/s. India Rubber & Products, 7th Floor, D-Block, Surya Towers, S. P. Road, Secunderabad. | AP/4845 | 1-4-90 to 31-5-93 & 1-4-93 to 31-3-96 & 1-4-96 to 31-3-99 & 1-4-99 to 31-3-2002 | 1/107/99/EDLI |
| 3. | M/s. Tibrewala Electronics Ltd., Plot No. 17, Sri Venkateswara Co. Op. Industrial Estate, Kulatpally, Hyderabad-500057. | AP/26389 | 1-10-96 to 30-9-99 & 1-10-99 to 30-9-2002 | 1/108/99/EDLI |
| 4. | M/s. Infatesh Enterprises Ltd , Ameerpet Huda Complex 608, Maitrivanam Hyderabad-50003 . | AP/28034 | 1-7-97 to 30-6-2000 | 1/109/99/EDLI |
| 5. | M/s. Sanjay Rural Electric Co-Op. Society Ltd., Jogipet Medak, Distt. 502270 A. P. | AP/14259 | 1-12-92 to 30-11-95 & 1-12-95 to 31-11-98 & 1-12-98 to 31-11-2001 | 1/110/99/EDLI |
| 6. | M/s. Lokes Machines Ltd, B-29, EEIE Stage II, Balanagar, Hyderabad-50003. | AP/19525 | 1-3-95 to 28-2-98 & 1-3-98 to 28-2-2001 | 1/111/99/EDLI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | M/s Hytech Prints Systems Ltd, Plot No. 7, Industrial Estate Peda Avutapally-521286 (A.P.). | AP/19414 | 1-1-97 to 31-12-99 | | | 1/112/99/EDLI |
| 8. | M/s. Hyderabad Engineering Industries P. O. Balanagar Town Ship, Hyderabad-500037(A.P.). | AP/1953 | 1-6-90 | 31-5-93 & | | 1/113/99/EDLI |
| | | | 1-6-93 | to 31-5-96. | | |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5401.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/extended | Date of expiry | Period for exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s Mekins Agro Products Pvt. Ltd., 6-3-866/A, Begumpet, Greenlands, Hyderabad-500016 (A.P.) | AP/12964 | 2/1959/DLI/Exem./89/Pt. I dated 12-7-91 | 29-2-92 | 1-3-92 to 28-2-95 & 1-3-95 to 28-2-98 & 1-3-98 to 28-2-2001 | 2/3673/91/DLI |
| 2. | M/s Elpro International Ltd., Switchgear MFS Centre (For namely Switch gear Ltd.) Plot No. 89 & 90 I.D.A., Gandhi Nagar, P. O. Balanagar, Hyderabad-37. | AP/1826 | dated 24-8-95 | 31-12-96 | 1-1-97 to 31-12-99 | 2/3374/DLI |
| 3. | M/s Indian Express (Madurai) Pvt. Ltd., 39-21-40, Madhavadhara Visakhapatnam-53007. | AP/UP 5456-A | dated 22-12-92 | 9-3-95 | 10-3-95 to 9-3-98 & 10-3-98 to 9-3-2001 | 2/1314/88/DLI |
| 4. | M/s Kranthi Road Transport (P) Ltd., H.O. 100, Feet Road, Jawarautonagar, Vijayawada-520007. | AP/16585 | dated 18-10-92 | 28-2-95 | 1-3-95 to 28-2-98 & 1-3-98 to 28-2-2001 | 2/3204/90/DLI |
| 5. | M/s Excel Industries Ltd., H-6B, Ist. Floor, Minerva Complex, 94, S.D. Road, Secunderabad-500003. | AP/5827 | dated 25-10-96 | 31-7-97 | 1-8-97 to 31-7-2000 | 2/4213/92 |

**SCHEDULE-II**

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view

9. Where for any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exmption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemn/89/Pt. I/5410.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2 (B) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any seperate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(B) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule II Annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated is attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the establishment | Code No. | No. and date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended | Date of expiry | Period for exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 1. | M/s Aspinwall and Co. Ltd., P.B. No. 2, Cochin Kerala-682001. | KR/KC 1057 | 2/1959/DLI/exem./89/Pt. I dated 1-9-91 | 31-12-91 | 1-1-92 to 31-12-94 & 1-1-95 to 31-12-97 & 1-1-98 to 31-1-2000 | 2/3777/91/DLI |
| 2. | M/s Thiruvananthapuram Dist. Co op. Bank Ltd., P.B.No. 5122, Thiruvananthapuram-23. | KR/1896 | dated 26-12-97 | 30-6-94 | 1-7-94 to 30-6-97 & 1-7-97 to 30-6-2000 | 8/11/96/DLI |
| 3. | M/s Kerala Agro Machinery Corporation Ltd., P.O. Athani, Distt. Ernakulam, Kerala-683586. | KR/KC 3375 | dated 1-9-91 | 31-11-90 | 1-12-90 to 30-11-93 & 1-12-93 to 30-11-96 & 1-12-96 to 30-11-99 | 2/3738/91/DLI |
| 4. | M/s Indian Coffee Board Workers, Co-op. Society Ltd., No. 4227, H. O. M.G. Road, P.B. No. 184, Thrissur-680001. | KR/KC 1971 | | 30-9-90 | 1-10-90 to 31-3-93 | 2/3720/90/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of Accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that could be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5418.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employee Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C's File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | M/s. Neocid (I) Pvt. Ltd., 144, Seevaram Village, Prungudi, Chennai-600096. | TN/10510 | 1-2-97 to 31-1-2000 | 14/673/DLI/99 |
| 2. | M/s. The Kilpauk Benefix Security Ltd., No. 61, New Avadi Road, Kilpauk, Chennai-600010. alongwith its branches. | TN/11744 | 1-9-97 to 31-8-2000 | 6/674/DLI/99 |
| 3. | M/s Leather Craft (India) Pvt. Ltd., Keelkatalai, Chennai-600117. | TN/16582 | 1-9-92 to 31-8-95 & 1-9-95 to 31-8-98 & 1-9-98 to 31-8-2001 | 14/675/DLI/99 |
| 4. | M/s. Brilliant coating (P) Ltd., 3/11A, Sechachala Garmani Street, Chennai-600019. alongwith its branches. | TN/23464 | 1-5-98 to 30-4-2001 | 14/677/DLI/99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | M/s. Sivanthi Aditanar College of Physical Education Tirunelveli Road, Tiruchendur-628215. | TN/24344-A | 1-3-97 to 29-2-2000 | 14/678/DLI/99 |
| 6. | M/s. Dharani Sugars and Chemicals Ltd., Karaipoondi Village, Chetpattu Road, Polur-606803. | TN/VL/24810-E | 1-3-99 to 28-2-2002 | 14/679/DLI/99 |
| 7. | M/s. Nagappa Motors, No. 13, Balfour Road, Kilpauk, Chennai-600010. | TN/26220 | 1-4-99 to 31-3-2002 | 14/680/DLI/99 |
| 8. | M/s. Flora Footwear Pvt. Ltd., Kilachur Village, Pallikonda, Villore-632802. | TN/VL/26546 | 1-8-97 to 31-7-2000 | 14/681/DLI/99 |
| 9. | M/s. Unico Shoe Accessories Pvt. Ltd., Kalichar Village, Pallikonda-635809. | TN/VL/26818 | 1-8-97 to 31-7-2000 | 14/628/DLI/99 |
| 10. | M/s. Shriram Carbons, No. 47A, Pillayar Koil Street, Jafferkhanpet, Chennai-600095. | TN/30125 | 1-11-94 to 31-10-97<br>&<br>1-11-97 to 31-10-2000 | 14/683/DLI/TN/99 |
| 11. | M/s. Sierra Trading Ltd., 96/2, Anna Sali Nagalkeni, Chromepet, Chennai-600044. | TN/30433 | 1-10-96 to 30-9-99 | 14/684/DLI/99 |
| 12. | M/s. Orient Express, No. 26-B, Jawahar Lal Nehru Salai Thira Vika Industrial Estate, Ekkaduthangal, Chennai-600097. | TN/30928 | 1-2-99 to 31-1-2002 | |
| 13. | M/s. Metropolitan Transport Corporation (Chennai Division) Ltd., No. 4, Anderson Street, Ayanavaram, Chennai-600023. | TN/31509 | 19-1-94 to 18-1-97<br><br>19-1-97 to 18-1-2000 | 14/686/DLI/99/TN |
| 14. | M/s. Sri Muni Pachaippan Textiles (P) Ltd., Iyeppedu Village, Sholinghur-631102. | TN/31552 | 1-3-95 to 28-2-98 | 14/687/DLI/99 |
| 15. | M/s. Light Alloy Products Ltd., Pulivalam Village, Banavaram Post-632505, Sholingur. | TN/35959 | 1-10-96 to 30-9-99 | 14/688/DLI/99 |
| 16. | M/s. ABI Showatech (India) Ltd., Pullivalam, Banavaram-632 2505. | TN/31573 | 1-10-96 to 30-9-99 | 14/689/DLI/99 |
| 17. | M/s. Black Stone Market Facts India Pvt. Ltd., D-109, LBR Complex, Ist Floor, Ist Main Road, Anna Nagar, Chennai-600102. alongwith its branches. | TN/40583 | 1-11-98 to 31-10-2001 | 14/692/DLI/99/TN |
| 18. | M/s. Tamil Nadu Indl. Development Corpn. Ltd., No. 19-A, Rukmani Lakshmipathy Road, (Marshals Road) Egmore, Chennai-600008. | TN/16853 | 1-1-79 to 31-12-81<br>1-1-82 to 31-12-84<br>1-1-85 to 31-12-87<br>1-1-98 to 31-12-90<br>1-1-91 to 31-12-93<br>1-1-94 to 31-12-96<br>1-1-97 to 31-12-99 | 14/693/DLI/99/TN |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 19. | M/s. Abon Lloyed Cables Off Shore Ltd., No. 96, Pantheon Road, Egmore, Chennai-600008. | TN/30483 | 1-10-93 to 30-9-96 & 1-10-96 to 30-9-99 | 14/694/DLI/99 |
| 20. | M/s. T. I. Cycles of India, Ambattur, Chennai-600035. | TN/307 | 1-1-89 to 31-12-91 1-1-92 to 31-12-94 1-1-95 to 31-12-97 1-1-98 to 31-12-2000 | 14/595/DLI/99 |
| 21. | M/s. Premium Granites Ltd., Factory No. 73/77, Sipcot, Industrial Estate, Phase II, Ranipet, Chennai. | TN/26777 | 1-3-93 to 29-2-96 1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 28-2-2002. | 14/697/DLI/99 |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that could be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc., within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/Legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt or claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

New Delhi, the 14th January 2000

No. Con.5(15)/95/TN/5440.—In pursuance of Sub-Paragraph (1) of Paragraph 4 read with Paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Chairman, Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund hereby appoints one Employers' representative Shri P. Sakthivel, in place of Shri M. S. Rangesh and makes the following amendment in CPFC's Notification No. Conf.5(15)/95/TN/1293, dated 28-7-1997 published in Part-III Section 4 of the Gazette of India dated 30-8-1997.

In the said Notification against serial No. 7 for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri P. Sakthivel, General Manager (Personnel), M/s E.I.D. Perry (India) Ltd., C/o South Indian Sugar Mills Association, Karumuttu Centre, Second Floor, 498, Anna Salai, Chennai-600 035"

AJAI SINGH
Central Provident Fund Commissioner

New Delhi-110066, the 15th January 2000

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5456.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the establishment | Code No. | No. and date of Govt. Notification vide which exemption was granted/extended | Date of expiry | Period for exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s. Jyoti Ltd., Industrial Area, Vadodara-390003 | GJ/74 | 2/1959/DLI/Exem/ dated 1-1-90 | 31-12-90 | 1-1-91 to 31-12-93<br>1-1-94 to 31-12-96<br>1-1-97 to 31-12-99 | 2/2035/88/DLI |
| 2. | M/s. Soma Textiles and and Industries Ltd.. Rakhial Road, Ahemdabad-23 | GJ/288 | dated 18-1-94 | 30-6-96 | 1-7-96 to 30-6-99 | 2/2774/90/DLI |
| 3. | M/s. Birla V.X.L. Ltd. Sarashtra Chemicals, Birla Sugar, Porbandar-76 | GJ/1367 | dated 26-10-97 | 20-1-96 | 21-1-96 to 20-1-99 | 2/17/78/DLI |
| 4. | M/s. Torrent Cables Ltd., Chanakya 7th Floor, Nr. Torrent House, Asharam Road, Ahemdabad-380009 | GJ/4367 | dated 14-11-97 | 31-1-98 | 1-2-98 to 31-1-2001 | 2/4789/92/DLI |
| 5. | M/s The Sabarkantha Distt. Central Co-op. Bank Ltd., Himmant Nagar, Gujarat | GJ/4665 | dated 29-8-97 | 4-2-98 | 5-2-98 to 4-2-2001 | 2/1327/85/DLI |
| 6. | M/s. Cadmach Machinery Co., (P) Ltd.' 3604, 3605, GIDC Industrial Estate Phase-V Vatva, Ahemdabad | GJ/6087 | dated 18-1-94 | 29-2-96 | 1-3-96 to 28-2-99<br>1-3-99 to 28-2-2002 | 2/710/82/DLI |
| 7. | M/s. Amin Machinery, C-1/12, Vithal Udyog Nagar, Valiabh Vidyanagar,Gujarat | GJ/7400 | dated 18-1-94 | 29-2-96 | 1-3-96 to 28-2-99<br>1-3-99 to 28-2-2002 | 2/4823/92/DLI |
| 8. | M/s. K.B. Mehta and Co., Dhun House Bhadra Ahemdabad | GJ/11784 | dated 27-1-94 | 28-2-95 | 1-3-95 to 20-2-98 | 2/3327/90/DLI |
| 9. | M/s. Nala Bharat Engineerng Ltd., Opp. Fertilizer Nagar, Gate P.O. Fertilizer Nagar, Baroda-390005 | GJ/11879 | dated 26-10-97 | 31-3-98 | 1-4-98 to 31-3-2001 | 2/13/95/DLI |
| 10. | M/s. Sulaimani Co-op. Bank Ltd., Mogalwada, Vadodara-17 | G/J11952 | dated 5-9-92 | 31-12-94 | 1-1-95 to 31-12-97<br>1-1-98 to 31-12-2000 | 2/4115/92/DLI |
| 11. | M/s. Prashant Engineering Co., 4/1-A, GIDC Estate Phase-I Vatva Ahemdabad-382445 | GJ/12257 | dated 17-1-94 | 30-11-95 | 1-12-95 to 30-11-98 | 2/4104/92/DLI |
| 12. | M/s. Gujarat Prepack Ltd., 10th Floor, Neptune Tower Alkapuri, Baroda-5 | GJ/16077 | dated 27-1-99 | 31-12-98 | 1-1-99 to 31-12-2001 | 2/4027/92/DLI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | M/s. Welcome Group, Vadodara R.C. Dutt Road, Baroda-390005. | Gj/17531 | Dated 10-1-94. | 31-5-96 | 1-6-96 to 31-5-99 | 2/5332/93/DLI |
| 14. | M/s. Prashant Steel Balls Co., Ltd., Sardar Industrial Estate Road, No. 4, Ajwa Road, Baroda-390019. | Gj/20017 | Dated 26-10-97 | 28-2-98 | 1-3-98 to 28-2-2001 | 2/?/95/DLI |
| 15. | M/s. Unifabs Engineers, 107, GIDC Makarpura, Baroda-10. | Gj/17389 | Dated 23-8-91 | 31-3-94 | 1-4-94 to 31-3-97 1-4-97 to 31-3-2000 | 2/3710/91/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Schme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, of the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5475.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Chandigarh and Amritsar from the operation of the said Scheme for a period of 3 years

Schedule-I

| Sl. No. | Name & Address of Establishment | Code No. | Effective date of Exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. S.G.G.S. College of Pharmacy, Sector-26, Chandigarh. | PN/14718 | 1-8-97 to 31-7-2000 | 12/54/98/DLI |
| 2. | M/s. Aggarwal & Brothers, Kashmir Road, Amritsar. | PN/17423 | 1-3-97 to 29-2-2000 | 12/125/99/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5481.—WHEREAS the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2 (A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Eicher Tractors, Formerly Capal Farm Equipment Kondamadugu Bibi Nagar, Mondal Dist. Nalgonde-508126 | AP/HY 18240 | 1-12-88 to 30-11-91 & 1-12-91 to 30-11-94 & 1-12-94 to 30-11-97 & 1-12-97 to 30-11-2000 | 1/102/99/EDLI |
| 2. | M/s. Odin Retreaders Pvt. Ltd., 55-6-10, Plot No. 226/227 5th Road Auto Nagar, Vijayawada | AP/HY 23137 | 1-3-96 to 28-2-99 & 1-3-99 to 28-2-2002 | 1/114/99/EDLI |
| 3. | M/s. Jaya Textiles Pvt. Ltd., Mekala Vari Street, 5th Right Jonda Chettu Road, Vijayawada-520001 | AP/GT 30091 | 1-3-99 to 28-2-2002 | 1/115/99/EDLI |
| 4. | M/s. D.E. Shaw India Software Pvt. Ltd., Third Floor Gpulla Ready Building, 6-3-879 & 879-B Begumpet, Hyderabad-500016 | AP/32184 | 1-11-97 to 31-10-2000 | 1/116/99/EDLI |
| 5. | M/s. State Bank of India Staff Co-op. Credit Society, S.B.I. Building Bank Street Hyderabad-500095 | AP/3796 | 1-1-97 to 31-12-99 | 1/117/99/EDLI |
| 6. | M/s. Tata Communications, 5-9-62, Khamlate of Kham Estate. Fateh Maidan Road, Hyderabad-500001 | AP/32376 | 1-7-98 to 30-6-2001 | 1/118/99/EDLI |
| 7. | M/s. National Textile Corporation (APKKSM) Ltd., 159, Gunfoundry Road Opp. State Bank of Hyderabad-5000001 (A.P.) | AP/11878 | 1-9-89 to 31-8-92 & 1-9-92 to 31-8-95 & 1-9-95 to 31-8-98 & 1-9-98 to 31-8-2001 | 1/119/99/EDLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employee under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Whre for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurendy adopted by the said establishment, for the benefits to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s)/Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2 1959/DLI/Exemp./89/Pt. 1/5492.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Chennai, Madurai, Coimbatore from the operation of said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE-I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Varadha Lakshmi Mills Ltd., Raja kambeeram, Sivagangai Distt. 623609 alongwith its branches | TN/4187 | 1-10-91 to 30-9-94<br>1-10-94 to 30-9-97 | 14/668/DLI/99 |
| 2. | M/s. Rama Lakshmi Mills, 439, Cotton Mills Road, Peelamedu. Coimbatore-641004 | TN/6348 | 1-8-88 to 31-7-91<br>1-8-91 to 31-7-94<br>1-8-94 to 31-7-97<br>1-8-97 to 31-7-2000 | 14/669/DLI/99 |
| 3. | M/s. T.T.K. Textiles, 6, Cathedral Road, Chennai-600086 alongwith its branchess | TN/6839-A | 1-8-89 to 31-7-92<br>1-8-92 to 31-7-95<br>1-8-95 to 31-7-98<br>1-8-98 to 31-7-2001 | 14/646/99 |
| 4. | M/s. Mhitra Engineering Equipment (P) Ltd., No. 33, 10th Avenue, Ashok Nagar, Chennai-600083 | TN/31700 | 1-9-98 to 31-8-2001 | 14/671/DLI/99 |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission ot returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7.Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable tc be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5500.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the Provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

| S. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/Extended | Date of Expiry | Period for Exemption | C. P. F. C.s File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | M/s. Raptakos Brett & Co. Ltd., Dr. Annie Besant Road, Worli Mumbai-25. | MH/1067 | 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt I dated 11-7-97 | 01-02-1995 | 12-02-1995 to 11-02-1998 & 12-02-1998 to 11-02-2001 | 2/833/82/DLI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | M/s The Akola District Central Co-op. Bank, P. B. No. 8, Civil Line Ltd., Akola-444001. | MH/5934 | dated 7-4-93 | 06-02-1992 | 70-02-1992 to 06-02-1995 & 07-02-1995 to 06-02-1998 & 07-02-1998 to 06-02-2001 | 2/419/80 |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient feature thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, before given his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11 In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporaton of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5506.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (Hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of Govt. of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

| S. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt' Notification vide which Exemption was granted/Extended | Date of Expiry | Period for Exemption | C. P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Agra Engineering Industries, P. C. Artoni, Agra-7 | UP/4067 | 2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 22-11-1983 | 21-11-1986 | 22-11-1986 to 21-11-1989 22-11-1989 to 21-11-1992 22-11-1992 to 21-11-1995 22-11-1995 to 21-11-1998 | 2/892/83/DLI |
| 2. | M/s. Almora Magnesite Ltd., Regd. Office Metela P. O. Bilori-263630 Dist. Almora (UP) | UP/4481 | dated 4-12-97 | 30-04-1997 | 01-05-1997 to 30-04-2000 | 15(20)96/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of defaults, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA

Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/5512.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner Chandigarh from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

Schedule-I

| Sl. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Industrial Oxygen Company Ltd., Village, Joni, Jithardi, Post & Tal. Karjan Dist., Baroda-391240 | CJ/10017-C | 1-2-96 to 31-1-99 | 4/153/99/DLI |
| 2. | M/s Paochmahal Dyestuff Industries Plot No. 736, GIDC Estate, Ankleshwar-393002, Dist. Bharuch. | GJ/18636 SRT | 1-10-98 to 30-9-2001 | 6/154/99/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything containd in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee (s)/Legal heir (s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member, who would have been covered under the said scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

A. K. JAIN
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/5578.—WHEREAS the Employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the Said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/ C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II Annexed hereto. The Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

| S.I. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt. Notification vide Which Exempton was granted/ Extended | Date of Expiry | Period for Exemption | C. P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. The Andhra Pradesh State Federation of Co-op. Sugar Factorries Ltd. 5-9-194, Chirag Ali Lane Hyderabad-500001. | AP/18758 | 2/1959/DLI/Exem/89/Sr. I dated 21-2-97 | 30-11-1998 | 01-12-1998 to 31-11-2001 | 2/3370/90/DLI |
| 2. | M/s. L. V. R Dang in Granites Co. Chittor Kelapathu Village Nagari Chittoor Dist A. P. | AP/18576 | dated 21-2-97 | 31-12-1998 | 01-01-1999 31-12-2001 | 2/4246/92/DLI |
| 3. | M/s. Margadarsi Chit Fund Ltd., Margadarsi House, Abid Centre, Hyderabad | AP/3527 | dated 3-3-87 | 16-03-1990 | 17-03-1990 16-03-1993 & 17-03-1993 16-03-1996 & 17-03-1996 16-03-1999 & 17-03-1999 16-03-2002 | 2/1007/85/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(B) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in this establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Therefore, any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5525.—WHEREAS the employer of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2 (A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each, from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Delhi from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I

| Sl. No. | Name & Address of the the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | C.P.F.C.'s File No. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Holtec Consulting (P) Ltd., 45/49, Community Centre, Naraina Phase-I, New Delhi-28. | DL/5385 | 1-12-89 to 30-11-92<br>1-12-92 to 30-10-95<br>1-12-95 to 30-11-98 | 3/110/99/DLI |
| 2. | M/s. The Himalaya Drug Co. 20, Najafgarh Road, New Delhi-110015. | DL/7710 | 1-12-92 to 30-11-95<br>1-12-95 to 30-11-98 | 3/119/99/DLI |
| 3. | M/s. K. and Co. 4, Pom Posh Enclave, New Delhi-48. | DL/7815 | 1-11-97 to 31-10-2000 | 3/120/99/DLI |
| 4. | M/s. MCS Ltd. Srivenkatesh Bhavan, 212-A, Shahpurjat, New Delhi-110049. | DL/8046 | 1-7-88 to 30-6-91<br>1-7-91 to 30-6-94<br>1-7-94 to 30-6-97 | 3/121/99/DLI |
| 5. | M/s. Stas Hotels Ltd., 11,Su en er Nagar, New Delhi-110003. | DL/8087 | 1-10-88 to 30-9-91<br>1-10-91 to 30-9-94<br>1-10-94 to 30-9-97 | 3/122/99/DLI |
| 6. | M/s. Aravali Securities and Finance Ltd. UCO Bank Building, 3rd Floor, Parliament Street, New Delhi-110001. | DL/8370 | 1-1-90 to 31-12-92<br>1-1-93 to 31-12-95<br>1-1-96 to 31-12-98 | 3/123/99/DLI |
| 7. | M/s. Scorpio International, KB-126, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-20 | DL/10359 | 1-4-90 to 31-3-93<br>1-4-93 to 31-3-96<br>1-4-96 to 31-3-99 | 3/124/99/DLI |
| 8. | M/s. A.K. Marwah and Associates Pvt. Ltd. C-30, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-20. | DL/11764 | 1-4-90 to 31-3-93<br>1-4-93 to 31-3-96<br>1-4-96 to 31-3-99 | 3/125/99/DLI |
| 9. | M/s. Container Corporation of India Kanishka Opp. Plaza, 4th Floor, Ashoka Road, New Delhi-110001. | DL/14380 | 1-7-92 to 30-6-95<br>1-7-95 to 30-6-98 | 3/126/99/DLI 1 |
| 10. | M/s. BHPE Kinhill India Pvt. Ltd., A-302 Rishi Apartments, Alakhananda ,Kalkaji, New Delhi-110019. | DL/19200 | 1-2-98 to 31-1-2001 | 3/127/99/DLI |
| 11. | M/s. ESSCO Sanitations, C-58/1, Wazirpur Industrial Area, Delhi-52. | DL/1646 | 1-12-96 to 30-11-99 | 3/115/99/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees that the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be laible to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

No. 8/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I/5540.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by subsection 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India, the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 years as indicated in attached schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

| S. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | No. and Date of Govt. Notification vide which Exemption was granted/ Extended | Date of Expiry | Period for Exempton | C. P. F. C's File No |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. Indian Aluminium Company Ltd., P. O. Hirakund Distt. Sambalpur (Orissa). | OR/322 | 2/1959/DLI/Exem/89/Pt. I dated 29-1-96 | 31-03-1996 | 01-04-1996 to 31-03-1999 & 01-04-1999 to 31-03-2002 | 2/28/76/DLI |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the Language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estt. exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding, anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a resonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore any reason, the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

---

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt. I.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 2(A) of the Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said mentioned establishments in Schedule-I from the date mentioned against each from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Mangalore from the operation of the said Scheme for a period of 3 (three) years.

SCHEDULE—I

| S. No. | Name & Address of the Establishment | Code No. | Effective Date of Exemption | | C. P. F. C's File No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | M/s. The Commercial Corporation of India Tile Factory Road, Manipal-576119. | KN/12810 | 01-03-1999 28-02-2002 | to | 6(64)DLI/KN/99 |
| 2. | M/s. Motco Agency, Tile Factory Road, Manipal-576119. | KN/12811 | 01-03-1999 28-02-2002 | to | 6/66/DLI/KN/99 |
| 3. | M/s. Pavana Interprises, Tile Factory Road, Manipal-576119. | KN/20156 | 01-03-1992 28-02-2002. | to | 6/65/DLI/KN/99 |

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may from time to time, direct under clause (a) sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act. is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s), legal heir(s) of the Employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the Employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Therefore, any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case, within one month from the receipt of claims complete in all respect.

K. L. TANEJA
Regional Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 7th January 2000

No UT/DBDM/R-225/SPD-3/99-2000.—The amendments to the provisions/offer documents of the following scheme :

(1) Primary Equity Fund

(2) Grandmaster Unit Scheme 1993

(3) Capital Growth Unit Scheme 1992

(4) Mastershare Plus Unit Scheme 1991

(5) Equity Opportunity Fund-1996

(6) Unit Growth Scheme-2000

(7) Unit Growth Scheme-5000

(8) Unit Scheme-1992

formulated under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) and the following plans :

(1) Children's College and Career Fund Unit Plan 1993

(2) Unit Linked Insurance Plan 1971

formulated under Section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit schemes made under section 21 of the said Act approved by the Executive Committee in the meeting held on 11th May, 1999 are published herebelow.

A. G. JOSHI
Chief General Manager
Business Development and Marketing

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Primary Equity Fund (PEF)

(1)The first sentence of the second paragraph of sub-clause 2 of clause IX titled Mode of Payment's is amended as :

If payment. is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the Trust or authorised collection centre.

(2) The third sentence of clause XIII titled Determination of Net Asset Value (NAV) is amended as :

This NAV shall be published daily atleast in two daily news papers.

(3) The last sentence of the first paragraph of sub clause (1) of clause XIX titled 'Sale and Repurchase prices' is amended as :

The sale price shall be announced on a daily basis.

(4) The 2nd sentence of the second paragraph of sub-clause (1) of clause XIX titled 'Sale and Repurchase prices' is amended as :

The repurchase price will be announced on a daily basis.

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Grandmaster Unit Scheme-1993 (Grandmaster-93)

(1) The first sentence of clause V titled 'Limitation on Expenses' is amended as :

The following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average daily Net Asset Value during any accounting year.

(2) The 2nd and 3rd sentences of the first paragraph after the table giving percentage of recurring expenses are amended as :

However, the total expenses would be within the limit of 3% of the daily average net asset value during any accounting

year, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulation, 1993. Further, administrative expenses contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the daily average NAV of the Scheme during the accounting year.

(3) The third sentence of Sub-clause (e) of clause VI titled 'Sale of Units' is amended as :

If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

(4) The last line of clause XIV titled 'Scheme Open Ended from 01-08-1996' is amended as :

Sale price will be at NAV to be de'ermined and announced on a daily basis.

(5) Sub-clause (1) of clause XIX titled 'Sale and Repurchase Prices' is amended as :

The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as "the sale price"), and the price at which a unit will be repurchased by the Unit Trust (hereinafter referred to as the "repurchase price") shall be declared on a daily basis. The sale p ice will be the NAV (historic). Repurchase price will be at a discount of 5% to the NAV (historic).

(6) The last sentence of the first paragraph of clause XXIII, titled 'Computation and Disclosure of Net Asset Value (NAV)' is amended as :

The NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication daily.

(7) The second sentence of sub-clause a of clause XXIV titled 'Trading of Units' is amended as :

The Trust will announce the net asset value determined daily and intimate the value to all the Stock Exchanges for the purpose of being quoted.

(8) Clause XXX. titled 'Development Reserve Fund (DRF) Contribution' is amended as :

0.10% p.a. of the daily average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution towards the DRP of the Trust every year.

(9) Clause XXXI. titled 'Staff Welfare Fund Contribution' is amended as :

0.10% p.a. of the daily average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust of the Fund every year.

## ANNEXURE

### Amendments to the provisions of Capital Growth Unit Scheme 1992 (Mastergain-92)

(1) The second sentence of item (b) of sub-clause (6) of clause 5 titled 'Applications for Units', 'If payment is made by draft the acceptance date will subject to such draft being realised be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust or a designated branch of an authorised bank or an authorised collection centre within 15 days from the date of issue of the draft.' is deleted.

(2) The first sentence of the first paragraph of clause 7A titled 'Limitation on Expenses' is amended as :

The following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis which shall not exceed 3% of the average daily Net Asset Value during any accounting year.

(3) The 2nd and 3rd sentence of the first paragraph after the table giving percentage of recurring expenses is amended as :

However, the total expenses would be within the limit of 3% of the daily average net asset value during any accounting year, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the daily average NAV of the Scheme during the accounting year.

(4) The last sentence of clause 9 titled 'Computation and Disclosure of Net Asset Value' (NAV) is amended as :

The NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication daily.

(5) The second sentence of sub clause (a) of clause 10 titled 'Trading of units' is amended as :

The Trust will announce the net asset value daily and intimate the value to all the Stock Exchanges for the purpose of being quoted.

(6) Sub-clause (1) of clause 15 titled 'Sale and Repurchase price' is amended as :

The price at which a unit will be sold by the Unit Trust (hereinafter referred to as "the sale price"), and the price at which a unit will be repurchased by Unit Trust (hereinafter referred to as the "repurchase pride") shall be declared on a daily basis. The sale price will be the NAV (historic). Repurchase price will be at a discount of 5% to the NAV (historic).

(7) Clause 29A titled 'Development Reserve Fund (DRF) Contribution' is amended as :

0.10% of the daily average Net Asset Value (NAV) shall be set aside as contribution to the Development Reserve Fund of the Trust every year.

(8) Clause 29B titled 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as :

0.10% of the daily average Net Asset Value (NAV) shall be set as aside as contribution to the Staff Welfare Trust of the Trust every year.

## ANNEXURE

### Amendments to the provisions of Mastershareplus Unit Scheme-1991 (Masterplus-91)

(1) The second sentence of sub-clause (2) (ii) of clause VI, titled 'Sale of Units' is amended as :

If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date on which the application is received by the branch office or authorised collection centre.

## ANNEXURE

### Amendments to the provisions of UTI Equity Opportunity Fund-96 (EOF-96)

(1) The second sentence after the first table under clause VII titled 'Limitation on Expenses' is amended as :

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis which shall not exceed 2.56% of the daily average net asset value during any accounting year.

(2) The first paragraph after the 2nd table under clause VII titled 'Limitation on Expenses' is amended as :

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses and 3% of the daily average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accrodance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the daily average NAV of the Scheme during the accounting year.

(3) The third paragraph of sub-clause (1) of clause XV titled 'Repurchase of Units' is amended as :

The repurchase price shall be the historic NAV less discount not exceeding 5% of the NAV. Repurchase price shall be declared on a daily basis.

(4) The last sentence of the first paragraph of clause XXI titled 'Computation and Disclosure of Net Asset Value' (NAV) is amended as :

This NAV (on historic basis) shall be intimated to the press for publication on a daily basis. The Trust may also decide to switchover to prospective NAV by giving a suitable notice through a press release.

(5) The second paragraph of clause XXI titled 'Computation and Disclosure of Net Asset Value' (NAV) is amended as :

The repurchase price shall be the historic NAV less a discount not exceeding 5% of the NAV. The repurchase price shall be declared on a daily basis.

(6) The first paragraph of clause XXX titled 'Development Reserve Fund (DRF) Contribution' is amended as :

0.10% of the daily average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

(7) The first sentence of clause XXXI titled 'Staff Welfare Trust Contribution' is amended as :

0.10% of daily average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Unit Growth Scheme (UGS-2000)

(1) Sub-clause (2) of clause IX titled 'Offer and repurchase prices' is amended as :

The price at which a unit will be repurchased by the Trust (hereinafter referred to as "the repurchase price") shall be determined by the Trust on a daily basis.

(2) Sub-clause (6) of clause IX titled 'Offer and repurchase prices' is amended as :

Notwithstanding anything contained to the contrary in sub clause (2), the Trust may determine the repurchase price other than on a daily basis effective for such period as it may deem fit.

(3) The 1st sentence of Sub-clause (a) of clause XXIII (A) titled 'Publication of the Net Asset Value' is amended as :

The Net Asset Value of the Scheme shall be calculated at Mumbai daily after deducting from the said aggregate value the liabilities incurred for the said scheme and other expenses on a proportionate basis which in the opinion of the scheme is sufficient to cover the stamp duties and other expenses payable on a deemed realisation of the investment and shall be published in the leading daily newspapers in India,

(4) Sub-clause (b) of clause XXIII (A) titled 'Publication of the Net Asset Value' is amended as :

In the event of unforseen circumstances, if the valuation is not so published for a given day or for one or more days, the Trust shall not be deemed to have violated any of the provisions hereof.

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Unit Growth Scheme (UGS-5000)

(1) Sub-clause (2) of clause IX titled 'Offer and repurchase prices' is amended as :

The price at which a unit will be repurchased by the Trust (hereinafter referred to as "the repurchase price") shall be determined by the Trust on a daily basis.

(2) Sub-clause (6) of clause IX titled 'Offer and repurchase prices' is amended as :

Notwithstanding anything contained to the contrary in sub clause (2), the Trust may determine the repurchase price other than on a daily effective for such period as it may deem fit.

(3) The 1st sentence of sub clause (a) of Clause XXIII (A) on 'Publication of the Net Asset Value' is amended as :

The Net Asset Value of the scheme shall be calculated at Mumbai daily after deducting from the said aggregate value the liabilities incurred for the said scheme and other expenses on a proportionate basis which in the opinion of the scheme is sufficient to cover the stamp duties and other expenses payable on a deemed realisation of the investment and shall be published in the leading daily newspapers in India.

(4) Sub-clause (b) of clause XXIII (A) on 'Publication of Net Asset Value' is amended as :

In the event of unforseen circumstances, if the valuation is not so published for a given day or for one or more days, the Trust shall not be deemed to have violated any of the provisions hereof.

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Unit Scheme-92 (US-92)

(1) Sub-clause (2) of clause IX, titled 'Offer and repurchase prices' is amended as :

The price at which a unit will be repurchased by the Trust (hereinafter referred to as "the repurchase price") shall be determined by the Trust on a daily basis.

(2) Sub-clause (6) of clause IX, titled 'Offer and repurchase prices' is amended as :

(6) Notwithstanding anything contnained to the contrary in sub-clause (2), the Trust may determine the repurchase price other than on a daily basis and make it effective for such period as it may deem fit.

Amedments to the provisions of Children's College & Career Fund Unit Scheme-93 and Children's College and Career Fund Unit Plan 1993 (CCCF-93)

Amendments to the provisions of Childrens 'College & Career Fund Unit Scheme-93

(1) The 3rd sentence of clause 3 (a) titled 'Sale and Repurchase Price' is amended as :

Repurchase for the purpose of payment of scholarship will be at NAV. However, premature repurchase under special circumstances at the discretion of the Trust will be at NAV less deduction upto 5% of NAV.

(2) Clause 13 titled 'Accumulation of bonus units' is amended as :

The periodic accumulation of bonus units will depend on the growth in the value of the fund as also on the date on which the application was made/date on which previous allotment of bonus units was made Final withdrawal will be at NAV.

(3) The 1st sentence of the 2nd paragraph of clause 14 titled 'Withdrawal' is amended as :

Withdrawals after completion of 18 years and before completion of 23 years shall be allowed as per limit indicated in the Table-III below at the net asset value of the outstanding units standing to the credit of the member on 30th June preceding the 18th birthday of the member.

(4) Clause 15 titled 'Premature/Unscheduled withdrawal' is amended as :

No partial withdrawal will be allowed in case of premature/unscheduled withdrawal. Complete withdrawal may be allowed before completion of 18 years of age of a member only in the event of special circumstances (e.g. serious illness of child) solely at the discretion of the Trust at NAV less deduction upto 5% of NAV. After completion of 18 years of age complete withdrawal will be allowed which will be at NAV less deduction upto 5% of NAV on the withdrawal over and above the ceiling allowed plus the additional bonus units allotted after the completion of 18 years of age. For example, if a member is allowed complete withdrawal (i.e. total acccumulated units standing to his credit) due to any

special circumstances as mentioned above before completion of 22 years then 20% of additional units plus the additional bonus units issued to the member after the completion of 18 years of age will be repurchased at NAV less deduction upto 5% of NAV (as he will be eligible to withdraw only 80% of total outstanding units as per Table III).

(5) Clause 15A titled 'Repurchase' is amended as :

No withdrawal under the scholarship option of the scheme shall be allowed except in special circumstances solely at the discretion of the Trust. Repurchase shall be at NAV less deduction upto 5% of NAV and shall be paid to the member.

(6) Sub-clause (e) of clause (16) titled 'Death of the child in whose favour units have been issued' is amended as :

Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of the child may upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the amount equivalent to the NAV of all outstanding units standing to the credit of the deceased child after all the formalities in connection with the claim have been compiled with by the claimant.

(7) The second paragraph of Sub-clause (h) of clause (16) titled 'Death of the child in whose favour units have been issued' is amended as :

Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of the member may upon producing such evidence to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the amount equivalent to the NAV of all the outstanding units standing to the credit of the deceased member after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

Amendments to the provisions of Children's College & Career Fund Unit Plan-93

(1) The 3rd sentence of Clause 1(a) titled 'Sale and Repurchase Price' is amended as :

Repurchase for the purpose of payment of scholarship will be at NAV. However, premature repurchase under special circumstances at the discretion of the Trust will be at NAV less deduction upto 5% of NAV.

(2) Clause 6 titled 'Accumulation of Bonus units' is amended as :

The periodic accumulation of bonus units will depend on the growth in the value of the fund as also on the date on which the application was made/date on which previous allotment of bonus units was made. Final withdrawal will be at NAV.

(3) The 1st sentence of the 2nd paragraph of clause 7 titled 'Withdrawal' is amended as :

Withdrawals after completion of 18 years and before completion of 23 years shall be allowed as per limits indicated in the Table III below at the net asset value of the outstanding units standing to the credit of the member on 30th June preceding the 18th brithday of the member.

(4) Clause 7A titled 'Repurchase' is amended as :

No withdrawal under the scholarship option of the scheme shall be allowed except in special circumstances solely at the discretion of the Trust. Repurchase shall be at NAV less deduction upto 5% of NAV and shall be paid to the member.

(5) Clause 8 titled 'Premature/Unscheduled withdrawal' is amended as :

No. partial withdrawal will be allowed in case of premature/unscheduled withdrawal. Complete withdrawal may be allowed before completion of 18 years of age of a member only in the event of special circumstances (e.g. serious illness of child) solely at the discretion of the Trust at NAV less deduction upto 5% of NAV. After completion of 18 years of age complete withdrawal will be allowed which will be at NAV less deduction upto 5% of NAV on the withdrawal over and above the ceiling allowed plus the additional bonus units allotted after the completion of 18 years of age. For example, if a member is allowed complete withdrawal (i.e. total accumulated units standing to his credit) due to any special circumstances as mentioned above before completion of 22 years then 20% of additional units plus the additional bonus units issued to the member after the completion of 18 years of age will be repurchased at NAV less deduction upto 5% of NAV (as he will be eligible to withdraw only 80% of total outstanding units as per Table III).

(6) Sub-clause (e) of clause 9 titled 'Death of the child in whose favour units have been issued' is amended as :

Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of the child may upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient, be paid the amount equivalent to the NAV of all outstanding units standing to the credit of the deceased child after all the formalities in connection with the claim have been compiled with by the claimant.

(7) The second paragraph of sub-clause (h) of clause 4 titled 'Death of the child in whose favour units have been issued' is amended as :

Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of the member may upon producing such evidence to his titled as the Trust shall consider sufficient, be paid the amount equivalent to the NAV of all the outstanding units standing to the credit of the deceased member after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

ANNEXURE

Amendments to the provisions of Unit Linked Insurance Plan 1971.

Sub paragraph (ii) of paragraph 2 of the provisions is deleted.

No. UT/DBDM/R-226/SPD-102/99-2000.—The amendments to the provisions of the UTI-Bond Fund formulated under Section 19(1) (8)(c) of the Unit Trust of India Act. 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Unit-Bond Fund Scheme made under section 21 of the said Act approved by the Chairman vide office note dated 1-05-99 are published herebelow.

S. CHATTERJI
Deputy General Manager
Business Development and Marketing

Amendments to the Provision of UTI Bond Fund

ANNEXURE

(1) Sixth paragraph under 'Highlights' is amended as :

No-load fund. The initial issue expenses of the fund will be borne by the Development Reserve Fund (D R F) of the Trust. There will be no sale charge or exit load. Sales and Repurchase will be at NAV. However, for repurchases within first six months of investment there will be a deferred sales charge of 1.5%.

(2) Second paragraph of sub-clause (2) (i) of clause (IX) titled — 'Repurchase of units' is amended as :

However for repurchases within first six months from the date of investment there will be a deferred sales charge of 1.5% on the NAV as allowed under clause (e) of Tenth Schedule of SEBI (MFs) Regulation, 1996. This deferred sales charge be credited to Development Reserve Fund (D R F) of the Trust.

(3) Clause X titled 'Sale and Repurchase Prices' is amended as :

Since this is No-load fund sale and repurchase prices will be the applicable NAV (prospective) without any load or discount to be determined on a daily basis. However for repurchases within the first six months from the date of investment there will be a deferred sales charge of 1.5% on the NAV. In respect of all sale and repurchase applications received by 2 p.m. on a particular day the applicable NAV will be that of the same day. All sale and repurchase applications received after 2 p.m. will be governed by the NAV of the following day.

प्रकाशक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD.
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 2000